The Marriages (Compulsory Registration and Miscellaneous Provisions) Bill, 2005.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for the compulsory registration of all the marriages solemnized in the country so as to prevent child marriages, frauds committed under the garb of marriages and for compulsory oath on affidavit by non-resident Indian grooms that they are not already married before getting married in India and for matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, I introduce the Bill.

The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2004 - *Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up further discussion on the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2004. Shri Janardhana Poojary to continue his speech.

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, while continuing my speech, I would say that there is a view in the House, not of all the Members, but of some of the Members, that we should not discuss the issue of salary, allowances and also other facilities that are being given to the hon. Members of Parliament. My definite view is that it should be discussed in the House. The perception is that the Members of Parliament are robbing the Exchequer; they are over-paid; and their facilities are incomparable. *...(Interruptions)*... Last time, I had mentioned about the salaries that are paid to the hon. Members of Parliament in foreign countries and the facilities that are being enjoyed by them. I had also given the figures in that regard.

Now, coming to the perception that we should not discuss in detail the salaries and allowances of the Members of Parliament, I say, "why should we be scared about this?" Why should we be scared about this? Is it not our duty to tell the nation that we are paid so much and the facilities provided to us are like this? You can compare it with any other nation also to see whether we are overpaid. That could be discussed. Now, the media is discussing it. The electronic media is discussing it. Last

time, I had submitted that while concluding a discussion on this subject in the media, one boy had stated that the hon. Members of Parliament are begging, so give them. That was the feeling; that was the perception. So, it should be clear whether there should be transparency in this regard. Now, are we honest in submitting before the nation as to what we are getting? Sir, last time, I had not submitted the figures of salary and allowances that the Members of Parliament in Sri Lanka, a small country, are getting. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, don't run the office of Chief Whip in the House. It is the House. ...*(Interruptions)*... He is popular. That is the problem.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, the basic salary of a Member of Parliament in Sri Lanka is Rs. 2,65,200 per annum, that is, in Sri Lankan rupees. I have given the figures pertaining to other countries also, including the United Kingdom, about the salaries they are drawing. Now, Sir, even in such a small country, they are paying free postal facilities for local letters up to a limit of Rs.60,000 per annum. Attendance allowance per sitting is Rs.500. It is being paid in such a small country! I could refer to the other facilities at a later stage. But, my question is, whether a basic salary of Rs.12,000 is sufficient for any Member of Parliament.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, it is just 'salary'. There is no 'basic salary'.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Yes, you are right, it is 'salary'.

Sir, you are aware that we are paid constituency allowance also. I have represented the constituency of Mangalore as a Member of the Lok Sabha. Mr. Deputy Chairman, you know that better than anybody else, it is spread over 150 miles. And I had to travel quite a distance. A sincere and honest Member would have to travel and cover a distance of 150 miles. He has to attend marriages; he has to take care of the demands of the constituency people. And when you are travelling extensively like that, what will be your expenditure? Is the allowance that is being paid sufficient for that?

Coming to the next point, Sir, every day, people come in for donations. We have to organize party meetings and we have to make contributions to the party as well. Every year, we have to do all these things. Even when there is a cricket match, people come for donations. If

there is somebody suffering from Cancer or TB or kidney trouble, he might also come for donations. Now, as a Member of Parliament, can you say, 'No, we cannot pay'? You know, Sir, that there are school anniversaries and there are so many other functions being organized by people. Can you afford to pay all that from this Rs. 12000? Can you do that? If an hon. Member of Parliament is honest, can he do all these things? Could we say openly to the world that we are honest Members of Parliament? Could you say that, putting your hands on your chests, that it is sufficient, unless you are corrupt?

Sir, the perception is that Members of Parliament are corrupt and they cannot live on this salary. Is it good for the nation? Is this perception good? And, we talk about perceptions. We have to think a hundred times before telling the people at large that we are not having the facilities which are due to us.

Now, so far as Parliament is concerned, it is the supreme body. We are the law-makers. So many learned people are coming after putting in so much hard work. They have to put in a lot of study. If an hon. Member is to be honest with his presentation, then he has to put in about eighteen hours of work before coming to the Parliament and submitting his point before the Parliament. Is it an easy job? You are also being paid secretarial allowance. Hon. Members make submissions before the House saying that it is not at all sufficient and that nobody is coming to the Parliament for that salary.

In spite of all these constraints, hon. Members are living with dignity, without showing any of their grievances. But, that does not mean that they should not speak out. Is it not the duty of the Parliamentary Affairs Minister to tell the Press that these are the things being provided to the Members? Is it not the duty of Chief Whips of all the parties to tell the nation that we are getting this much? Why is there misconception? Why should that misconception continue to be here? Are we doing it? Sir, I am sorry to say that some of the Members say that they do not want it. Yes. Some of the people made submissions earlier also that they do not want it. Are they not taking salaries to their houses? Don't take it; let it go to the people. We accept it. But as an honest Member of Parliament, we cannot live with this Rs.12,000 salary. It should be made clear to the entire nation. Otherwise, this perception will go on that we are all over-paid and we are robbing the nation. No, it should not happen. For that purpose, my submission would be that you can appoint any panel or you can appoint

any person to assess and to fix up the salary and the facilities to be given to the Members of Parliament. People say that we are given one house in Delhi. Why is the house given? You have to manage two houses -- one in your constituency and the other in Delhi. Is it a luxury? Is it not a necessity? You have to live in Delhi. Will everybody love coming to Delhi for nothing? Since you are attending the highest body in the democracy and you are doing a lot of work for that, and you are provided with accommodation, why should people grudge that? On the contrary, it is an additional expenditure for another accommodation, which is given here.

Now, I come to air tickets to and fro. We are given it for 32 times. For what? It is to attend the Parliament; it is not for anything else. It is given for doing our job; it is not given for anything else. Sir, now you are coming from Karnataka about 2,000 miles from Delhi. If, at all, we do not claim these air tickets, can we come by utilising Rs.12,000?

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): We are not doing any job; we are doing service.

SHRI JANARDHANA POOJARY: I will come to that. ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: It is a service to the mankind... *(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: My dear friend, I bring to your notice that everybody is doing service to the nation. These people, who are sitting here, are also doing service to the nation. Even the Police people are doing service to the nation. Executives and all officers are also doing service to the nation. You, being a lawyer, also serve the nation and you are also paid as fees. You are also paid . ...*(Interruptions)* ...

SHRI N. JOTHI: It is a sacrosanct service. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, okay. ...*(Interruptions)* ... Mr. Jothi, you can express your views. After all, Members have different views. One need not interrupt. You consider it paid service; he considers it honorary service. ...*(Interruptions)*... I don't want Tamil Nadu people to get up in between. ...*(Interruptions)*... It is a very serious subject. Mr. Janardhana Poojary has rightly said that we have to clear the wrong perception of the people and he is explaining it. It is really in the interests of the Members of Parliament that we clear this wrong perception. No, no, I have heard your views. ...*(Interruptions)*... No, Chair can guide.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Unfortunately, it is made not only inside the Parliament by some of the Members, but outside the Parliament also. We have come here for service. Yes, we come here for service. Everybody is serving the nation. There was a time when we fought for the political freedom of the nation and, at that time, when we went out of the house, we saw the bullets of British Empire, jails and *lathis*. Nobody thought that he was going to become Member of Parliament, or Prime Minister, or Chief Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, conclude. You have 20 minutes.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, I am told that I would be given half-an-hour.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I don't know who has told you that you have half-an-hour, but there is no record here. Anyhow, please conclude now.

SHRI JANARDHANA POOJARY: After attaining the political freedom, we are now fighting for the economic freedom of the nation and we have got the services. We are doing this service. If at all the country is going to become economically strong and when it is properly represented in this august House, while preparing laws for the weaker sections and also for the uplift of the downtrodden, if it is effectively done by the Members of Parliament, then it is also service to the nation. To fight for the economic freedom of the nation is also a service to the nation. What we are doing here and what farmer is doing in the field, or a person who is doing the *tar* work on the road is also doing the service to the nation. And, it should be understood in that sense. Otherwise, what will happen? Sir, unfortunately, we are responsible for belittling ourselves. We are doing it. And, when we say that the Cabinet Secretaries or other Judges are getting more than us, we don't grudge. That has to be paid to them. They are also serving the nation. But, when we come to the Members of Parliament, our own Members say, "No, we should not be paid." If that is the perception, and that is the objective of our hon. Members, I don't think that tomorrow, any honest person will enter this Parliament. Sir, no intellectual, or no person fighting for the cause of the poor people, will enter the Parliament. He will not be having sufficient sources for his existence. Then, I say, with due respect to some of the hon. Members of the House, that don't get the impression I am pleading for higher emoluments. But, we have to take care of our family. Yes, today, my children are well settled and I need not have

it. But, keeping in mind the people -- what I submitted earlier also -- who belong to weaker sections, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, backward classes, or from farmers' community, and also some people coming from poor family and some youngsters are there; they are coming here with great objective in mind. But, what will happen to them? Sir, you know that we have a term of six years in Rajya Sabha and five years in Lok Sabha. So, uncertainty is there. No security at all. If a youngster, at the age of 32 or 35, enters the Parliament, what will happen to him after the first term?

SHRI N. JOTHI: Nothing will happen, Sir. But, the service will continue in another form. MP is not a great thing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jothi, you can have your say when you want. Don't interrupt now. ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: Life will be meaningful.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can have your own views, Mr. Jothi *(Interruptions)* Mr. Hariprasad, please take your seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI RUDRA NARAYAN PANY (Orissa): Don't differentiate between Lok Sabha and Rajya Sabha. It is one and the same thing. *(Interruptions)*

SHRI JANARDHANA POOJARY: He is correct. *(Interruptions)*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI E. AHAMMED): Sir, I have to say one thing. I was in the Kerala Assembly for five terms, that is about 19 years, and, I got elected to Lok Sabha also five times but it is about 14 years. That is the uncertainty in Lok Sabha.

SHRI N. JOTHI: But you are certain to be elected by doing service. ...*(Interruptions)*... Let us do service. You will be elected.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right, Mr. Jothi, please sit down. *(Interruptions)*

SHRI B.S. GNANADESIKAN (Tamil Nadu): Sir, I want to say that we have seen in Tamil Nadu...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't say anything. ...*(Interruptions)*... I don't want to invite trouble. By calling Tamil Nadu people, I don't want to invite trouble. ...*(Interruptions)*... No, no. Please, please take your seats.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Ahluwaliaji, please control them. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.S. GNANADESIKAN: Sir, I am not troubling. Why I am requesting, Sir...*(Interruptions)*... Allow me to speak, Sir.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, let Mr. Poojary speak uninterruptedly.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. I tell you, what happens is that by interrupting, you are doing a great injustice to the speakers. ...*(Interruptions)*... Please wait. Their thoughts will be disturbed and they will not be able to say anything, and, it is not good. Sometimes, interruption is welcome but by frequent interruptions, you are doing very great injustice to your colleagues. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.S. GNANADESIKAN: Sir, I want to say...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What do you want to say?

SHRI B.S. GNANADESIKAN: Sir, I want to say only one thing only. It is a very serious problem. I request every Member not to make it a mockery.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't do mockery and be serious. ...*(Interruptions)*... Now, mockery is removed, be serious. ...*(Interruption)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Now, the question is very simple. Whether we should take up this issue seriously or not. We have been taking it up very seriously. Sir, a discussion took place in the media, particularly, in the electronic media, and, the statements that emerged from there were so painful. We are subjected to mental agony. That was the picture shown to the entire world because the electronic media beams it in so many countries. Now, if he says, if some of the Members say that this Rs. 12,000/- salary is bigger than anything else, and, if they say that we are snatching or robbing from the exchequer, if that is the feeling that is going on in the young minds of the people, what he said is correct, what Mr. Jothi said is correct that it is not a big thing, Parliament is not a big thing, it is not a supreme body, we are not the lawmakers and we are not the persons who are having the characters. Well, one can say, in loud voice, that it is sufficient, don't argue here, where we have to argue. *(Time-bell)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Half-an-hour is over.

3.00 P.M.

SHRI JANARDHANA POOJARY: So, Sir, we can shout at the roof of the House but the fact remains that Rs. 12,000 is nothing, and, whatever facilities have been given are for better functioning of the institution, the Parliament. So, I request the hon. Members, don't say anything in the House or outside that we are doing the service. Everybody knows that you are doing the service. But service is the most important thing, and every individual is trying to come here as a Member of Parliament, including some of the Members who have stated that it is not a big thing. It is not a great institution. With this, I conclude, Sir, with one special request to the Parliamentary Affairs Minister and the chief whips to kindly call a press conference and tell them that these are things which are given to the hon. Members of Parliament. We have to appreciate that all the hon. Members, with this meagre amount, are functioning effectively, without any grievances. I just missed one point, Sir. In any other Parliament, salary is reviewed every year. But, it is not so in India. This is the thing. Thank you very much, Sir.

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभापति महोदय, मैं माननीय संसद सदस्य, मेरे विद्वान साथी ललित सूरी जी द्वारा दिए गए विधेयक संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, आज यह तीसरा दिन है, जब इस पर बहस चल रही है। यह प्राइवेट मैम्बर्स बिज़नेस का तीसरा दिन है, जब इस पर चर्चा चल रही है। महोदय, ललित सूरी जी ने जो विधेयक दिया है, मूल रूप में वह स्पाऊस के पेंशन के लिए और गाड़ी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए जो कर्ज मिलता है, वह एक लाख रुपया है, उसे चार लाख रुपया करने के लिए है। उनका मुख्य मुद्दा यही था। किन्तु इस मुख्य मुद्दे को सामने रखते हुए संसद के चारों तरफ से जो गुबार निकले, जो दबी-सी आवाज़ में बाहर कुछ नहीं बोल सकते, वे अन्दर बोले, जो अपनी पार्टी के फोरम में नहीं बोल सकते, वे यहाँ बोले कि सांसदों की तनख्वाह कम है। तनख्वाह इतनी कम है कि उसमें एक ईमानदार सांसद का चलना बहुत कठिन है।

महोदय, कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे पूर्व पुरुष, जिन्होंने इस राष्ट्र का निर्माण किया, इस राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए और राष्ट्र का गठन करने के लिए कितनी भूमिकाएँ कीं, उनमें एक बहुत अच्छा नाम आता है, जिनका नाम है - गुलजारी लाल नंदा। महोदय, आपको स्मरण होगा कि उनके अपने अन्तिम समय में उनके पास अपनी दवाई खरीदने के लिए भी पैसे उपलब्ध नहीं थे। देश के लिए गुलजारी लाल नंदा एक बहुत बड़ा नाम है। दो-दो बार या शायद तीन बार वे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी बने, गृह मंत्री रहे और समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति संवेदनशील रहे। ऐसी अवस्था भी आती है।

अभी हमसे पूर्व माननीय जनार्दन पुजारी जी बोल रहे थे, तो मेरे एक साथी ने पूछा कि वे इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा कि वे गुस्से में नहीं बोल रहे हैं, वही उनका

बोलने का स्टाइल है। वे प्यार भी करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं और यह उनका गुस्सा नहीं है, पर उनकी पीड़ा जरूर बोल रही है। उन्होंने जब कहा कि अपनी छाती पर हाथ रख कर कोई ईमानदार सदस्य बोले कि क्या इस पैसे से उसका खर्च गुजरता है, तो नहीं गुजरता है। कोई सांसद खड़े होकर ऐसा नहीं कह सकता। लोक सभा के सांसद को तो सिर्फ अपने जिले के, अपने क्षेत्र के, इलाके के वोटर्स के जन्म में, मरण में, ब्याह में, छठी में, सबमें जाना पड़ता है और गए तो सिर्फ खाना नहीं, बल्कि कुछ दे कर आना पड़ता है। अगर वे सारे न्योते पुराना शुरू करें तब शायद एक हफ्ते के अंदर उन की पूरी तनख्वाह निकल जाएगी। महोदय, राज्य सभा के सांसद पूरे राज्य के होते हैं और कुछ सांसद तो पूरे देश के होते हैं। जो राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत होकर आते हैं और कुछ पार्टी कार्यों में जुड़े होते हैं, वे सारे राज्यों का भ्रमण करते हैं और सारे देश के होते हैं। अगर उस बात को छोड़ भी दें तो राज्य सभा सांसद के रूप में हमें MPLADS का जो पैसा मिलता है, उसे हम पूरे राज्य में खर्च करते हैं और जब पूरे राज्य में खर्च करते हैं तो राज्य के किसी भी कोने में जाने के लिए वाहन की जरूरत भी होती है। अब हमारे लिए वाहन की व्यवस्था तो है नहीं। इसलिए अपनी पॉकिट से पैसा देकर जाना पड़ेगा। अगर मैं अपनी पॉकिट से देकर नहीं जाऊंगा, दूसरे की पॉकिट से देकर जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ठेकेदार के कमीशन पर जा रहा है और कमीशन पर आ रहा है। अब हम ऐसा करें तब भी मरे और न करें तब भी मरे। इसलिए महोदय, दो पाटों के बीच में सांसद की एक ऐसी अवस्था है कि उस अवस्था की चर्चा करते भी लज्जा महसूस होती है, शर्म आती है।

महोदय, हमारे पास कभी कोई एम0बी0ए0 पास लड़का आता है और बताता है कि उसकी नौकरी लग गयी है। हम पूछते हैं कि क्या नौकरी है, क्या मंथली सेलरी है? वह कहता है कि annual package है। फिर पूछते हैं कि कितने का पैकेज है, तो वह कहता है कि 12 लाख या 15 लाख का पैकेज है। एम0बी0ए0 पास के लिए 6 लाख का पैकेज तो मामूली सी बात है। फिर कभी उसके परिवार के सदस्य ने पूछा कि, "अंकल आप का क्या पैकेज है?" हम बोलते हैं कि हमारा कोई पैकेज नहीं है, हमारा तो फटा हुआ पॉकिट है। तो हम को यह कहकर चुप हो जाना पड़ता है। अगर कभी विदेश गए और वहां कोई पूछ ले कि "What is the salary package or allowance package of a Senator in your country?" We don't have a reply to that question, because we cannot compare ourselves with them. We are nowhere near their package, and I don't want to compare that. अब हमारे यहां एक टी0वी0 प्रोग्राम में किसी टी0वी0 वाले ने किसी सांसद से कह दिया कि जितना काम वहां के मेंबर करते हैं, क्या आप वह करते हैं? मैं कहता हूं कि हम उस से ज्यादा काम करते हैं। अब न तो टी0वी0 वाला जो पूछ रहा है, उस को पता है कि वे कितना काम करते हैं और हम कितना करते हैं, इसलिए वह कह देता है कि वे ज्यादा काम करते हैं और आप कम करते हैं। मैं कहता हूं, अरे भाई, वहां की पार्लियामेंट के मेंबर अपनी consultation fees लेते हैं। वे कोई opinion देते हैं या कुछ lobbying करते हैं तो उस की authorised fees लेते हैं। हम तो किसी फीस की मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो सम्मानपूर्वक एक इज्जतदार आदमी की तरह आकर सेवा कर रहे हैं।

आप देखें, आज तो घर-घर में प्रॉब्लम है। टी0वी0 पर रोज "सास भी कभी बहू थी" और "घर-घर की कहानी" सीरियल्स देखते हैं। उस में आप देखें जो चाचा काम नहीं करता, उस को भतीजे निकाल देते हैं, जो भाई काम नहीं करता, उसे भाई निकाल देते हैं, जो बाप काम

नहीं करता, उस के बेटे निकाल देते हैं। अंततः जो जिस प्रोफेशन में है, उस को उस पर निर्भर होना पड़ता है। वह अपनी रोटी नहीं मांग रहा है, लेकिन जब कोई भी विजिटर घर आता है तो एक कप चाय की मांग करता है। अब अगर घर में 50 विजिटर्स रोज आएं तो क्या होगा? आप को घर वाले निकाल देंगे। यह एक प्रैक्टीकल प्रॉब्लम है जिस के बारे में लोगों ने गुबार निकाला है।

महोदय, हालांकि चर्चा का विषय यह नहीं था, चर्चा का विषय था एक्स-मेंबर ऑफ् पार्लियामेंट और सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ होने के बाद उस के स्पाउस को लाइफ-लांग पेंशन मिले और दूसरे अभी गाड़ी के लिए जो एक लाख रुपया दिया जा रहा है, उस को बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया जाए। महोदय, यहां मैं एक बात का उल्लेख और करना चाहूंगा जिसे सुनकर आप को आश्चर्य होगा। आप के मोबाइल फोन पर फोन आता होगा कि मैं आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक से बोल रहा हूं, क्या आप को कर्जा चाहिए? मैं सिटी बैंक से बोल रहा हूं या मैं एबीएन-एमरो बैंक से बोल रहा हूं या मैं अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक से बोल रहा हूं या मैं एच0एस0बी0सी0 बैंक से बोल रहा हूं या यू0टी0आई0 बैंक से बोल रहा हूं। क्या आप को गाड़ी के लिए लोन चाहिए? आप को कर्जा उतारने के लिए लोन चाहिए? सब बोल दिया। फिर उसने बोला कि सर, मैं आपके घर ऑफिसर भेजता हूँ। उसे पता लिखा दिया। जब ऑफिसर आया और उसने बाहर पट्टिका देखी कि "संसद सदस्य" लिखा है, तो वह उल्टे पैर वापस चला जाता है। ...(व्यवधान)... वह कर्ज नहीं देता है। और-तो-और, अगर

[उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन) पीठासीन हुए]

आपको क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए कोई टेलिफोन आता है कि आपको क्रेडिट कार्ड बनाकर देंगे, तो जब वह भी देखता है और जब आप कहते हैं कि हम सांसद हैं, हम तुमको अपनी सैलरी स्लिप देते हैं, वे सैलरी स्लिप मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, किन्तु जब वह अपनी सैलरी की स्लिप दिखाता है या अपने सांसद का आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है, तो उसको क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलता। यह तो सम्मान है, हमारे सांसद महोदय लोगों का।

इस प्रकार मैं समझता हूँ कि हम इसकी चर्चा सदन में न करके, मेरे ख्याल से इसके लिए एक समिति बननी चाहिए और उस समिति में विभिन्न विभागों के, विभिन्न बैंकिंग क्षेत्रों के, विभिन्न relevant departments के सेक्रेट्रीज़ की मीटिंग बुलाकर उनके साथ इसके समाधान का कोई रास्ता निकालना चाहिए। उसमें लोक्र सभा और राज्य सभा सेक्रेटेरिएट या और दूसरे देशों के प्रतिनिधि भी हों। महोदय, आज हमने एथिक्स कमेटी बनाई। एथिक्स कमेटी बनाने के समय एस0 बी0 चव्हान जी चेयरमैन थे। चेयरमैन साहब ने एथिक्स कमेटी बनाकर सारे विश्व का भ्रमण किया। इंग्लैंड गए, आस्ट्रेलिया गए, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस गए, यह देखने के लिए कि वहाँ एथिक्स कमेटी कैसे फंक्शन करती है और हमने उस एथिक्स कमेटी को यहाँ लागू करने के लिए उस पर वह ढाँचा तैयार किया। किन्तु, यह ढाँचा तैयार करने के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे इन सारी चीजों को एक समिति के सामने पेश करना चाहिए, जो इन nitty-gritty पर हमें बेशर्म होकर, एक ईमानदार सांसद को खड़े होकर, अपना पेट नंगा करके दिखाने की जरूरत न पड़े कि मैं भूखा हूँ, मैं खाना खाकर नहीं आ सका, क्योंकि आज सवेरे कोई खाना बनाने वाला नहीं था या खाना लाने वाला कोई नहीं था, ऐसा न हो। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरी माँग सिर्फ यही है कि एक समिति बने और एक समिति बनाकर वह सम्मान लौटा दे। यह जो बाहर चर्चा होती है, उनको भी बता दें और वह समिति सबसे पहला काम यह करे कि आज

सांसद को क्या दिया जाता है - एक लाख रुपए के टेलीफोन बिल। यह एक महीने का नहीं है, पूरे साल भर के हैं। साल भर को 365 दिन से एक लाख को डिवाइड करें तो कितने रुपयों का टेलीफोन हुआ? कोई भी आता है और कहता है कि मेरे आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है। वह रहने वाला है बिहार का, आदमी पकड़ा गया है सूरत में, टेलीफोन सूरत के डी0सी0 को करना है, तो सारा बिल तो उसी दिन निकाल दिया। या वह आदमी पकड़ा गया है केरल में, यहाँ से त्रिवेन्द्रम टेलीफोन करना है, तो वह तो छः महीने का बिल एस0टी0डी0 में एक ही साथ खा गया। यह बात कोई सोचता नहीं है।

इन सारी चीजों को, इन महत्वपूर्ण मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए उस समिति के सामने रखा जाए और वह समिति इस पर विचार विमर्श करे, तो मैं समझता हूँ कि यह भला होगा। यही कहकर मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Thank you, Sir. Mr. Vice-Chairman, Sir, this discussion has been initiated by a Bill presented by Lalit Suriji. It is really a very appreciable one....(*Interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Mr. Natchiappan, one second. Do you want to say something Mr. Bose?

SHRI SWAPAN SADHAN BOSE (West Bengal): Sir, I want to say one thing.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Are you yielding Mr. Natchiappan?

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Okay, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.KURIAN): Okay, he has yielded.

SHRI SWAPAN SADHAN BOSE: Sir, this is the first time I would be speaking here. I don't know the procedures. Sir, I was travelling abroad....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.KURIAN): Would you like to speak?

SHRI SWAPAN SADHAN BOSE: Yes, Sir, on this subject, for one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.KURIAN): Okay, after Mr. Natchiappan, I will allow you.

SHRI SWAPAN SADHAN BOSE: Okay, Sir. Thank you.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Sir, this debate is initiated by a person who is not at all worried about the income for him. He is a rich man. He need not worry about his family. But, at the same time, he has got the feeling of a typical Member of Parliament, who comes from an ordinary family and who is doing it as a service by entering into the Parliament and how his family is looked after. Suppose that Member dies, what will happen to the family? That worry has brought this Bill before this august Parliament. I feel that it should be a transparent and open debate. I differ from the hon. Member, Ahluwaliaji. It should not be debated in a committee, in secret. It should be open like this. It should go to the media. Let the people decide whether they need a Member of Parliament who is qualified in such and such way, working in such and such way, and whether that person is needed by the Parliament or not. Now, we are assuming that a person who is elected as a Member of Parliament, is coming from heaven, and after getting a seat, is getting elected by the people, and is sitting here and enjoying all perquisites. This is not the case. A person who has worked for twenty or thirty years as an ordinary worker in a political party, catching the eyes of the party hierarchy, and finally, getting a seat. This itself takes away the youthful days of a particular person. The whole process takes about 20 or 25 years. Afterwards, he attains this position. In between, he has to sacrifice his family, he has to sacrifice his professional income, and he has to show his calibre that he is fit to become a Member of Parliament. Then only, the party high command or the party higher-ups are choosing a particular candidate. What is the position after getting the seat? He has to meet about ten to twenty lakhs of people; he has to hire the people for the purposes of transport, he has to go in for advertisement, he has to meet groups of people belonging to different parties as alliance partners, he has to spend a lot of money from his pocket. I can even say that none of the persons can say that in the Lok Sabha election, he has spent the money within the limit. We cannot say like that. We have spent more than that. Then only, we can reach the people; we can tell the people that this is the position. Kindly elect this party or elect this candidate. After the election, he has to pay back the debt. It is not the case that every party bears the electioneering expenditure for their party candidates, like the Communist Party. The Communist Party looks after the electioneering for their party itself, they spend their money for their cadres, they collect the money from the ordinary people and spend it. They control the candidate. The candidate need not worry about winning. He is not worried about vote catching. He just goes and attends the meetings. That is all. But that is not the case with

the non-Communist Parties. They have to spend money from their own pockets. The party is not in a position to pay. Certain parties may be having some money, but many of the parties don't get the money. Therefore, after having been elected, he has to repay the debt which has already been incurred by him. Lakhs and lakhs of rupees he has to pay back. Is he able to attend the court like my lawyer friends and myself and earn money? He cannot. Because if he wants to be a sincere Member of Parliament, he has got the duty to attend the Parliament from 9 o'clock till the House rises for the day, and only then, we can call him a proper and genuine Member of Parliament. I give an example of Shri Janardhana Poojary. He was a specimen of sincere Minister of State for Finance, who was known to entire India as Janardhana Poojary, Loan Melas. I have been with him when loan melas were conducted. He used to carry his food with him, that is, *curd baat*, in a small packet; he used to carry water, not mineral water, but ordinary tap water in a bottle; he used to stop the car in between, used to fill up the bottle with tap water, and used to attend the meetings where the chief of the bank, that is, the Chairman or the Managing Director of the Bank, who was drawing more than Rs. 10 lakhs salary, would be attending the meeting. But he didn't take even a single cup of coffee or tea. Even for a small glass of water, he used to take out his bottle and pour water from his own bottle and drink it. That was the sincerity displayed by him. Now, he says that this is the condition of a Member of Parliament. Now, I would like to stress what the work of a Member of Parliament is. He has to look after his family, he has to see that his wife is properly protected, his children are reared properly, they get good education and they get jobs. At the same time, he has to attend the Parliament work, he has to study for it, he has to go through the books taken from the library, he has to attend many seminars and meet many intellectual groups, interact with them and get their views, meet the people, know their views and integrate those views with his views and bring it before the Parliament so that the Parliament can be benefited from his views in considering the Bills and for executing the orders of the Executive. A Parliament Member is working for the entire nation. He is not working for his constituency alone. But he has to tour his constituency, he has to meet the people there, he has to establish an office there, he has to employ staff there. He should have transport facility. He cannot go here and there in a city bus. During his tenure of five-years in Lok Sabha--that can be, sometimes, reduced to one year or two-and-a-half years--he has to meet the people, he has to call the people and he has to mix up with the people. As Ahluwaliaji said, he has to attend every

marriage or death. In every function, we have to be with the people. We have to have intellectual meetings also. We have to go through various newspapers every day. As Members of Parliament, we have to go through the events happening throughout the world. A Member of Parliament has to discharge his duties as a Committee Member also. A Committee Member has got a very great responsibility. I am speaking from my own experiences. In a meeting of the Parliamentary Standing Committee on Science & Technology I put a question to Dr. Kasturirangan--he was Secretary, Science & Technology, at that time, and who is now a Member of Parliament: "You are having cryogenic engine. Why don't you propose a mission to the Moon from India? Why don't you have the mission?" He was thrilled. He told me, "If the hon. Members want to have it, we are ready for it. We can do it immediately!" That was a question posed by just an ordinary Member from the Opposition in a Committee meeting. That was the Chandrayaan Project. Immediately Rs.210 crores were sanctioned. During that period, the Science & Technology Mission was started. It is going to reach there by 2010 or 2020; I hope so. Sir, an ordinary Member can bring a change in the entire Parliamentary system or in the Executive. That much power a Member of Parliament has. That means he has to have a vision. He should read various articles and books. He should interact with the people. He has to also find out how the Executive is working, how the parliamentary laws or enactments are implemented by the Executive. If they are not implemented properly, he should be bold enough to catch the people or to tell the people in the Committee meetings that this is a wrong thing that they are doing and ask them as to why they are not implementing the scheme. Are we, the Members of Parliament, equipped to that extent, to say that those people are not properly implementing the scheme? We are now saying, after 58 years, that such things have happened. Why? We, as Members of Parliament, have to spend the whole time for this purpose and we have to see whether the Executive is implementing the programme or not. Now, we are having a collision with the Judiciary. We have to go through the judgement and find out whether the Judiciary is following the correct path or not. As Members of Parliament, we have a right to see whether the Parliament, the Executive and the Judiciary are working within their limits. We have to find out. ...*(Interruptions)*... We, as Members of Parliament, also have party responsibilities. We have to spend the whole time for the development of the party, and we have to carry--whether we are in the ruling party or in the Opposition--the messages to the people. That is the duty we have to perform as members of the party. We

have got a federal system, Sir. Therefore, we have to also take care of the interests of the States from where we are elected, irrespective of whether the State Government belongs to the ruling party or to the Opposition. In such a situation, we have to go through what is happening in the State Legislatures, what is happening in the Executive and we have to study how to solve the problems of the people. We have to discharge our duties properly at the national level also. Some restrictions are being imposed on our going on tours. But as a Member, I am telling you, Sir, that as a middle class family member, one can understand various things about India by going on tour and by attending political conferences. A Member can understand how big India is, how people belonging to various communities are living together, how many ethnic groups are living, how many languages they are using, how many types of dresses they are having, how many slangs they are having and how many types of food they are taking. I remember, as a General Secretary of the Tamil Nadu Youth Congress, I attended the procession when Indiraji's case was taken up. We had a procession of five lakh people here in Delhi. At that time I was surprised, as a youth from a small village, to find that the party to which I belonged was such a big party. I was happy about it. When a Member of Parliament goes to Kashmir, only then he is able to find that there is no war at all and people are living peacefully in Kashmir. There are threats by the terrorists. We can find that only by going there, not by following the media. If we go to Arunachal Pradesh, only then we can understand the situation there. If we go to Tamil Nadu, only then we can understand the situation there. As a Member of Parliament, we must have knowledge about the things that are happening at the national level. We should have a lot of knowledge about the happenings at the international level. We need to have a lot of knowledge about everything. For all these things, in 24 hours, how much are we going to spend? How are we going to get the knowledge? A Member of Parliament, if he is a sincere person, should be a corporate manager to have all these things. He should understand the value of time; he should understand the world; he should understand the system. If there is such a sincere person, then only Mr. Lalit Suri's Bill will be a correct one. If he feels that we are whiling away the time or we are just going here and there or we are not sitting in the Parliament or we are not attending the Committees or we are attending the courts of law for increasing our earning or we are going to the farms to look after the work there or we are doing some business or trade, he need not worry about those people. They are not coming for doing service to the people. They are coming here for a

hobby or to have some power as a Member of Parliament. I am indicating this in a certain way to Mr. Jothi because he is fully occupied with the cases of his leader, Ms. Jayalalitha, and, therefore, he is fully occupied with looking after his Amma properly. But our Amma is asking us to work properly for the people and we are working for them. ...*(Interruptions)*... That is the difference between these Ammas. ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: Now he is confronting me. ...*(Interruptions)*...

SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: As regards employment guarantee... *(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: Now, he must yield to me. ...*(Interruptions)*... He must yield to me now. ... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): He has yielded. ...*(Interruptions)*..

SHRI N. JOTHI: I am answering him. ...*(Interruptions)*... Let me answer. ... *(Interruptions)*. .

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.KURIAN): He has yielded. ... *(Interruptions)*... Now Mr.Natchiappan has yielded.

SHRI N. JOTHI: Sir, service does not mean service to the public only. Service to the leader is also a service. ...*(Interruptions)*... Gandhi is a great man. ...*(Interruptions)*... But it does not mean that we should follow the ideals of Gandhi. ...*(Interruptions)*... We are very faithful to our leader. ...*(Interruptions)*... That is why we are doing some service to her. ...*(Interruptions)*... We don't tell it publicly. ...*(Interruptions)*... We don't propagate that. Please understand us. ...*(Interruptions)*.... I opposed this Bill because we are here for sacrifice. ...*(Interruptions)*... We have to make sacrifice for the public. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.KURIAN): Okay. That is all. *(Interruptions)*... That is enough. *(Interruptions)*... That is enough. ...*(Interruptions)*...

SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: When the MPLADS Fund is Rs.2 crores, the Tamil Nadu Government has increased the MLAs Fund to Rs.1 crore. Why was it done? I am asking Mr. Jothi. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.KURAIN): That is their decision. Why do you worry about it? (*Interruptions*)... It is okay. (*Interruptions*)... It is for the Tamil Nadu Government to decide. (*Interruptions*)... That is okay. It is Tamil Nadu Government's decision. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, if they want to speak about Tamil Nadu Assembly, they have to speak in Tamil.

SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: The hon. Member, Shri Jothi, is not following the speeches of his own leader. His own leader, when she increased the salary of the MLAs, some Communist Members asked, "Why do you increase it?". Then she told them, "I am looking after the ordinary people. Without corruption we want to bring the MLAs". That is a different thing. She wanted to say something like that. Then during the course of the debate, one Communist Member said, "Whatever income we are getting we have to give to the party". Then Ms. Jayalalitha said in the Assembly, "Oh! That is why you are opposing the increase in salary. It is not coming to your hands". Mr.Jothi, kindly follow your leader's speech when you are speaking here. Your leader has increased the salary of the MLAs; she has increased the MLA's Fund. She has increased everything in the name of "not to have corruption". But that is something different.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): That is good.

SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: What I am telling him is that it was not done in the name of service. Service is not a professional service. If you do a service, you should do it on your own accord. You should be excellent in your work. If a Member of Parliament is excellent in his work, he is a professional. Now we have to think whether you want to have professionals in Parliament or you want to have somebody sitting here and whiling away time in the name of doing service. That is the difference which we have to find out.

Now the corporate sector is coming up and the world is shrinking. The entire international trade is coming up so fast. I would like to know whether a Member of Parliament is in a position to spend time to increase his knowledge to that extent and is in a position to give protection to the Indian masses who are illiterate and who live in villages. Are we in a position to protect the interests of our nation, our territory and our people? To do this, we need more and more knowledge; we need to increase our knowledge. So the Members of Parliament should have all kinds of facilities. For that you need excellent salary. A Member of Parliament

should not worry about money matters; he should not worry about his family, he should worry whether he dies today or tomorrow; he should not be worried about anything. He should only concentrate on his profession. That is why he should be paid accordingly. You can bring here excellent people. They will come here. You can use their services. You will have excellent India where the people are protected by Members of Parliament who represent lakhs and lakhs of people and who can protect India in future also. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Shri Swapan S. Bose - it is your maiden speech.

SHRI SWAPAN SADHAN BOSE: Mr. Vice-Chairman, Sir, I thought this was the right time to share some experience with the House. This House is the most gracious House and we are very respectable people. One incident happened with me. A month back, I was going abroad on an Indian Airlines' flight. Some foreigner brought a paper and showed it to me. Since it was an Indian Airlines' flight, people were talking to me. The foreigner told me that some Internet propaganda was going on that the cost of a Member of Parliament was Rs. 5 crores. I am not worried about that. What I am saying is, there is enough space -- I am a spokesman -- to fight the Congress Party, the BJP, this party or that party, but the prestige of the House and our respect should be protected. In this discussion, my learned colleague has mentioned that we should behave like Corporate Managers. Does a Corporate Manager decide his own salary? No, they don't decide it. I would like to say that this type of discussion would degrade the House and discourage any respectable person joining this august House. I would request you to form an Ethics Committee or some other Committee and this discussion about our own emoluments should be stopped at once. Nowadays, in this age of IT, everything that we discuss -- I am a media man, I know how it communicates; maybe, the intention of the media is not bad -- is being shown live and no news is secret. My request is, personally, we can sit in the Lobby and discuss or at the time of elections we can fight out our ideologies, but our own emoluments should not be discussed in this House, in this manner. Thank you.

डा. कुमकुम राय (बिहार) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सांसद श्री ललित सूरी के द्वारा लाए गए निजी विधेयक -संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2004 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मुझे आश्चर्य हुआ जब यह विधेयक माननीय सांसद श्री ललित सूरी जी लाए, क्योंकि वे तो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन्हें एक

साधारण सांसद की उन कठिनाईयों का पता कैसे चला और कैसे उन वास्तविकताओं को उन्होंने महसूस किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, विगत कुछ वर्षों में राजनेताओं की छवि का ह्रास हुआ है, राजनेताओं का जो मान-मर्दन हुआ है, मुझे मीडिया वाले क्षमा करें, लेकिन मीडिया के माध्यम से, राजनीति से जुड़े हुए लोगों की एक ऐसी छवि जनता के बीच में बना दी गई है कि वे देश को * अब इस तरह की छवि के कारण ही राजनीति से जुड़े हुए लोगों को किस प्रकार से जीवन-यापन करना पड़ता है, कैसे उनका परिवार चलता है, कैसे उनके मरने के बाद उनके परिवार वाले जिंदा रहते हैं, इन सब बातों पर आज तक न मीडिया में और न किसी ने सामाजिक स्तर पर कहीं बहस की है। मैं माननीय सांसद श्री स्वपन सादन बोस जी के विचारों से बिल्कुल असहमत हूं कि यह चर्चा कराने से हम अपनी छवि गिरा रहे हैं। ऐसा नहीं है। सच्चाई जनता के सामने जानी चाहिए। हिन्दुस्तान की आबादी एक अरब 30 करोड़ है, जिसके संसद सदस्य करीब 750 हैं और उनको 12 हजार रुपये वेतन मिलता है, उनका सालाना कोई इंक्रीमेंट नहीं है। अभी तीन साल पहले 4 हजार ही वेतन था, उसको बढ़ाकर 12 हजार किया गया है। इसके अलावा भले ही सुविधाओं के नाम पर रहने के लिए एक मकान मिल जाता है, खर्च करने के लिए कुछ बिजली की यूनिट्स फ्री मिल जाती हैं, टेलीफोन की कुछ कॉल्स फ्री हो जाती हैं, ट्रेन में आने-जाने के लिए फ्री सुविधा मिल जाती है, हवाई जहाज की यात्रा के लिए 32 टिकट मिल जाती हैं। इसके अलावा वह व्यक्ति जिसने अपनी रूचि के कारण, अपने प्रेम के कारण यह क्षेत्र चुना, उसने राजनीति चुनी। वह उद्योगपति नहीं बना, नौकरशाह नहीं बना, किसान नहीं बना, उसने सिर्फ अपनी रूचि के कारण यह क्षेत्र अपनाया है। लम्बे संघर्ष के बाद, अपनी संघर्ष क्षमता के कारण, ऐसे बहुत ही खुश किस्मत लोग हैं, जो बहुत कम हैं जिन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता है और जिन्हें बैठे बैठाये इस प्रकार के पद मिल जाते हैं, लेकिन 99 प्रतिशत राजनीतिक कार्यकर्ता जीवन का एक लम्बा समय संघर्ष में गुजारते हैं और तब जाकर उन्हें कभी एक सांसद बनने का मौका मिलता है, एक विधायक बनने का मौका मिलता है और इसकी एवज में उसका परिवार उपेक्षित होता है। उसे अपने बच्चों और पत्नी की देखभाल के लिए हमेशा अपने परिवार में रहना चाहिए, वह समय नहीं दे पाता। नाते-रिश्तेदारों के दुख और सुख में, जिसमें शामिल होने की उसकी सामाजिक जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदारी निभा नहीं पाता है। इस प्रकार उसके 24 घंटे का जो समय होता है, वह उसका अपना नहीं होता है। रात के दो बजे भी उसके दरवाजे पर, उसके क्षेत्र का यदि कोई कार्यकर्ता, यदि कोई व्यक्ति दरवाजा आकर के खटखटाता है और वह कोई संकट बताता है, तो वह उसे खड़े-खड़े वापिस नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में, यह वास्तव में एक हास्यास्पद स्थिति है कि इस महंगाई के जमाने में एक सांसद को 12 हजार रुपये वेतन के नाम से मिलते हैं। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि लोक सभा का सांसद अपने लोक सभा क्षेत्र में ही सीमित रहता है और राज्य सभा का सांसद पूरे राज्य में तथा राष्ट्रपति जी के द्वारा जो मनोनीत सांसद हैं, उन्हें पूरे देश में काम करना पड़ता है। लोक सभा के सांसद जो प्रत्यक्ष वोट से जीतकर आते हैं। उन पर जनता का दबाव होता है और वे जनता के सुख-दुख से मुंह नहीं मोड़ पाते। उनके तमाम क्रियाकलाप उसी जनता से जुड़े हुए रह जाते हैं। उनके यहां अपनी दुख-

---

* Expunged as ordered by the Chair.

तकलीफों को सुनाने के लिए, अपनी बीमारी की, अपने इलाज की, हर तरह की समस्या को लेकर लोग जुटते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वह सांसद उनकी मदद करेगा। और तो और, हर तरह की सहायता लेने वाले, चंदा लेने वाले, हर तरह के लोग यह उम्मीद रखते हैं कि सांसद उनकी मदद करेगा। उनके घर में - चाहे वह दिल्ली का ही आवास क्यों न हो - यदि उनके क्षेत्र से कुछ लोग आ जाते हैं तो उनके रहने की, उनको ठहराने की, उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी उसे ही करनी पड़ती है। इन सब बातों को देखते हुए, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती कि सांसद का जो वेतन है, वह पर्याप्त वेतन नहीं है। माननीय सांसद ने अपने इस विधेयक में वाहन के लिए जो ऋण मिलता है, उसकी तरफ भी ध्यान दिलाया है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि एक लाख में आज कोई भी गाड़ी नहीं मिल सकती इसलिए इसको बढ़ाकर चार लाख किया जाना चाहिए। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, वह यह कि आज आतंकवाद, उग्रवाद का बोलबाला है। राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी सक्रिय सांसद अपनी जिंदगी के प्रति निश्चिंत नहीं रह सकता। गाहे-बगाहे उसे देश के विभिन्न कोनों में जाना पड़ता है और कोई पता नहीं होता कि कब किस दुर्घटना का वह ग्रास बन जाए, उसकी असामयिक मृत्यु हो जाए। ऐसी स्थिति में, जिसने शुरू से ही अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया, बाल-बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, उसकी असामयिक मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके परिवारजनों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। उसके बाद उन्हें कोई पूछने वाला नहीं रहता। वर्तमान में जो व्यवस्था है कि उसकी पत्नी को मात्र पांच साल तक पेंशन देकर बंद कर देना - यह एक बड़ी ही अमानवीय सी व्यवस्था लगती है। इसलिए इस विधेयक में अन्य सेवाओं की तरह पत्नी को या उसके आश्रित को आजीवन पेंशन का लाभ मिलना चाहिए और मैं इसका पुरजोर समर्थन करती हूं। आज देखा जाए तो जो हमारे नौकरशाह हैं, उन्हें केन्द्रीय वेतनमान, महंगाई भत्ता, टीए, डीए और तमाम तरह की सुख-सुविधाएं उपलब्ध हैं। कैसी विडम्बना है कि उनकी छवि का इतना ह्रास नहीं किया गया। आज जो तमाम घोटालों का पर्दाफाश होता है, हमेशा सीबीआई का छापा पड़ता है तो पता चलता है कि फलां नौकरशाह के यहां इतने करोड़ मिले, इतने शहरों में उनके फ्लैट मिले, इतनी जमीनें मिली और बहुत सी बेनामी सम्पत्ति का ब्यौरा मिलता है। अपवाद सब जगह है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि सौ प्रतिशत, जो राजनैतिक व्यक्ति हैं, वे ईमानदार हैं - अपवाद सब जगह हैं। लेकिन यह सोचकर जो छवि बनाई गयी है कि सांसदों के लिए जो वेतन है, वह पर्याप्त है, उन्हें किस चीज़ की कमी है - यह बहुत गलत है। इसलिए अहलुवालिया जी के विचार से मैं सहमत हूं कि एक समिति बनायी जानी चाहिए और इससे संबद्ध विषयों पर चिंतन किया जाना चाहिए। उसके बाद सर्वसम्मति से सांसदों की जिम्मेदारियों को देखते हुए, उनके कठोर दायित्व को देखते हुए उनके विषय में भी सोचा जाना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि सरकार इसमें पहल करे। अभी हमने न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित बिल लोक सभा में पास किया है। किस प्रकार कानून बनाकर कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबका चिंतन हम करते हैं और विधायिका जो कानून बनाने वाली है, उसके संबंध में यह कहा गया कि अगर हम अपने विषय में बात करेंगे तो बड़ी बदनामी होगी, हमारी छवि गिर जाएगी - यह ठीक नहीं है। इसलिए सरकार इस विषय पर सोचे और इससे संबंधित समिति बनाकर, राय-मशविरा करके कुछ बिन्दुओं को तय करे। उसके बाद सांसद को एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने लायक कुछ ऐसा वेतन निर्धारित करे जिससे इन तमाम बातों पर विराम लग जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

SHRI ROBERT KHARSHIING (Meghalaya): Sir, India is quickly becoming a success story in some ways. On the positive side, on one side, India's overall GDP growth will remain close to seven per cent; inflation has slowed down to five per cent, a nine month low; our foreign exchange reserves are now about 142 billion dollars, as of 30th of April, 2005, compare this with just 55.9 billion dollars in April, 2002-03. Today, more than 1.5 million mobile phones are bought each month. In 2004-05, software exports were about 17 billion dollars, up by about 35 per cent from the previous year. Industrial growth in January, 2005 was about eight per cent. But, Sir, there is a big but, a lot of work still needs to be done to bring about poverty alleviation, to bring about quality, transparency and efficiency, especially in Government. It is said, Sir, that after about 58 years of Independence, the country is still seeped in corruption. The question today is, how can we attract the best talent to Parliament, if we pay the worst salaries? According to the global corruption barometer of the Berlin-based Transparency International, India's political class was perceived as among the five most corrupt in the world, together with Cameroon, Kenya, Moldova and Nigeria. What a company, Sir! So much low salaries. Compare this with Singapore. Sir, yesterday, the hon. Prime Minister mentioned about the economic development of Singapore, which has consistently made it a point to pay their politicians well. The Singaporeans have the greatest faith in their politicians. According to the survey by the Transparency International, only three per cent said that the Singapore politicians were dishonest; whereas a whopping 91 per cent of Indians believed that their * In Asia, now, Sir, we are among the fourth most corrupt nation. So, what is the solution? Sir, I was an MLA?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): What is the sanctity of all these studies?

SHRI ROBERT KHARSHIING: Beg a pardon, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.KURIAN): What is the sanctity of all these studies?

SHRI ROBERT KHARSHIING: I am coming to that. Sir, I was an MLA earlier. In 1989, my consolidated salary as an MLA was Rs.3,850. In Switzerland, Sir, which has almost zero level of corruption. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI OSCAR FERNANDES): Sir, it should not go on record. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): It is only a view. ...*(Interruptions)*... See, to make a sweeping remark that 91 per cent of the Indians believe that * is a sweeping remark. I think it should not go on record.

SHRI ROBERT KHARSHIING: Okay, Sir. Agreed, Sir.

SHRI N. JOTHI: What is the sanctity of the survey?

SHRI ROBERT KHARSHIING: Anyway, Sir, I accept it. ...*(Interruptions)*... It is this year's Transparency International.

SHRI JANARDHANA POOJARY: We are about 224 Members. I want to know whether 91 per cent of the Members of Parliament of this House * Answer this.

SOME HON. MEMBERS: No; no. ...*(Interruptions)*...

SHRI ROBERT KHARSHIING: Accepted, Sir. I withdraw it. ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: So, it should be expunged.

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh): Sir, I am sorry. It is just a survey. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Who did that survey? ...*(Interruptions)*...

SHRI ROBERT KHARSHIING: Sir, I am withdrawing it. I am accepting it.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, there is no need to be self-righteous about this. This is a survey, according to public perception, on politicians. If we don't have the courage to face up to the fact that the public confidence in politicians is very low, I am afraid, the future of Indian democracy is very bleak. He is just saying that it is just a survey done by an organisation. It is a viewpoint of an organisation. ...*(Interruptions)*... He is mentioning it.

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर्वे का सोर्स भी बता दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): No, Mr. Jairamji; he is quoting from a report. What is the authenticity of that report? ...*(Interruptions)*... I am only worried about that.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI ROBERT KHARSHIING: Okay; I am withdrawing, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.KURIAN): What is the authenticity of that report? He is quoting from a report.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, if I want to raise the authenticity of the report that many MPs who use for information, then, there will be no end to it. It is one survey which he is quoting. Let him quote it. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF.P.J.KURIAN): Anyhow, he has agreed to withdraw that sentence.

SHRI ROBERT KHARSHIING: Please allow me to speak. I do not intervene in anybody's speech. Please allow me to speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, please allow me a minute. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN(PROF. P.J.KURIAN) Are You yielding?

SHRI ROBERT KHARSHIING: No, Sir, I am not. I have withdrawn the statement.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.KURIAN) : That sentence was not in good taste. Technically, Mr. Jairam Ramesh may have a point, but it is not in good taste, that is what I feel.

SHRI ROBERT KHARSHIING: Sir, in Switzerland, which has almost zero level of corruption, each MP is allowed two jobs. In Britain, since 1996, MPs' and Ministers' pay is linked to. ... *(Interruptions)*...am supporting the motion.

Sir, in Britain, since 1996, MPs' and Ministers' pay is linked to annual increase of the Cabinet Secretary. We have not done so. Everyday, an MP has to take care of hundreds of people. Very poor people from their constituencies come to the MPs for everything, for hospital fees, for school fees, for death and funeral ceremonies, for food, for travel fares, for repaying the debts, for emergencies, etc. How does an MP manage? He or she has to manage two establishments, one home in Delhi and one in his constituency. The salary, Sir, hardly lasts for a few days. How can the majority of honest MPs survive in this country? The system is encouraging corruption rather than integrity and decency.

Sir, the condition of most of ex-MPs is pathetic. Many of them who have lived upright lives sacrificing themselves for the sake of this nation are

now living in miserable conditions. By paying a pension of Rs.3,000, we are rewarding those who have lived corrupt lives and punishing those MPs who have lived honest lives.

In cricketing term, Sir, we are punishing Tendulkars and Gavaskars for scoring centuries and bringing laurels for India while rewarding match fixers and those who never perform. Would Tendulkar and Sehwag be ever inspired to play well? We have just paid them a pittance. Instead of doing what is right and paying an honourable salary and pension, Sir, we are afraid of what the media is saying or what some people are saying. So, the injustice goes on, massive corruption goes on, year after year.

Sir, I hope, we will take radical steps to cleanse the system once for all. Chairman of Honda India, which is just a subsidiary of Honda of Japan, gets about 4 crores of rupees a year as salary. He, therefore, does a good job and gives his best for his company. He does not need to misappropriate the company's funds.

In 1947, Singapore was just a backwater area. Drowned out totally, it was under the occupation by the Japanese and then won back by the British, hopelessly under-developed like any remote Indian town. But their political leadership decided to treat their MPs as the highest paid executives in the country in accordance with their rank and protocol, which is far higher than any private sector executive. Look at the results, Sir, after fifty-eight years. Today, Singapore is a world-class city with world-class facilities for everyone. Corruption among politicians is almost zero.

Sir, I have a comparative study of MPs salaries, which I am not going to read here because it is too long. But it is very clear that we receive among the lowest in the world. Salaries we get is less than 500 Euros for an unemployed person in Brussels gets as social security benefit. How long can we say that we are a huge nation and cannot afford to pay well? How can then we afford to pay thousands of crores of rupees in corruption that goes on every year, cutting across party-lines?

Therefore, Sir, to come to a conclusion, cutting across party-lines, I suggest the following actions: Number one, I suggest this Government sets up a Transparency Commission. It is sad to know that Bangladesh has set up this year an Anti-corruption Commission and we, who are much larger and bidding to be a super-power do not have such a Commission. I would suggest the positive word that we set up a transparency commission embracing all aspects of Government. Second, Sir, I suggest that instead

of debating -- I agree with what Mr. Bose has said-- our salaries, we can do two things, either we follow the British system under which from 1996 they linked all MPs salaries to the Cabinet Secretary's pay and salaries or we follow the Canadian system in which the Canadian Parliament has linked all MPs salary from 2001 to the salary of a Supreme Court judge. As such instead of directly debating the changes to their own salaries, the Members of Parliament in Canada can deliberate, discuss the judicial salaries with the understanding that their salary adjustments are tied to those of the Supreme Court judges. If this is agreed upon, tomorrow an Executive Order can be passed and this can become a law. Third, Sir, rotate the Ministers. We are a coalition Government. I do not think any Minister can claim that he is better than many other Members, including Mr. Jairam Ramesh, Mr. Ashwani Kumar and other very, very seniors colleagues who are here. ...*(Interruptions)*... Mr. Narayanasamy. ...*(Interruptions)*... I can name everyone. ... If the Ministers ...((Interruptions)... Mr. Vijay Darda. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Naryanasamy should be made the Chief Minister of Pondicherry. ...*(Interruptions)*...

MR. ROBERT KHARSHIING: Shri Santosh Bagrodiaji, yes. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please address the Chair. ...*(Interruptions)*... Do not listen to them. ...*(Interruptions)*...

SHRI ROBERT KHARSHIING: Please take it seriously because this is a very important matter of cleansing the Government and bringing out good governance in any Government, it can be Vajpayee Government or it can be our Government. I feel rotation of Ministers, as it is done in Switzerland, is a very good idea. Except party leaders and the Prime Minister, they rotate all the leaders. That is my suggestion. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please try to conclude.

SHRI ROBERT KHARSHIING: Once again I appeal to the Government to take this matter seriously because those MPs who are trying to live an upright life find it very difficult with this current level of pay. Thank you, Sir.

4.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (Prof. P.J.Kurian): Thank you, Mr. Robert. Good point. ...*(Interruptions)*... It is his way of presenting the matter. ...*(Interruptions)*...

श्री विजय जे. दर्डा (महाराष्ट्र) : मान्यवर, I have a point of order. Please see if under any section of the Rules we can take action against Mr. Jairam Ramesh for interrupting and disturbing this House. ...((Interruptions)... Thank you, Sir. उपसभाध्यक्ष जी, सर्वप्रथम तो मैं ललित सूरी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्हें इस बात की आवश्यकता नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने सांसद के दर्द को महसूस किया। मैं इसका सिर्फ स्वागत ही नहीं करता हूं, बल्कि समर्थन भी करता हूं। सर्वप्रथम तो प्रश्न यह खड़ा होता है कि एम.पी. कौन है? वो मानव है या नहीं? और अगर वो इन्सान है तो उसे भी जिसमें इंसान के साथ जुड़ी हुई सारी बातें उसके साथ भी जुड़ जाती हैं। उसका अपना घर है, अपना परिवार है, उसकी अपनी जिंदगी है, उसके बच्चों की शिक्षा है, शादी ब्याह, दवा दवाखाना आदि आदि इन सारी चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने पोलिटिशियन्स को और पोलिटिशियन्स की जिंदगी को जिस कदर बनाकर रखा है, की वे हवा पानी पे जीता है उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। इसके लिए बाहर के लोग जिम्मेदार नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमने इस नोबल प्रोफेशन को भी बदनाम करके रखा है। हम लोग जब चुनाव लड़ने जाते हैं, तब भाषणों में से एक एम.पी. दूसरे एम.पी. के बारे में जिस प्रकार से बात करता है। उसको करप्ट बताता है, उसको भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी कहता है। जो हमारी जनता के मन में घृणा पैदा करता है, उसके दिल के अंदर हम उसके प्रति नफरत के बीज बो देते हैं, उसको गुमराह करते हैं। हम जानते हैं कि इस देश के अंदर कितने शिक्षित लोग हैं? उन्हें लगता है भ्रमित कर देते है। अगर कोई अच्छा और लच्छेदार भाषण दे सकता है, तो वह पूरे अवाम को गुमराह कर देता है। इसलिए मेरी आप लोगों से सबसे पहली विनती यह है कि हम लोगों को constructive विरोध करना सीखना चाहिए, अपने कामों के बारे में कहना चाहिए, अपनी पालिसीज़ के बारे में कहना चाहिए, अपने पक्ष की, अपनी पार्टी की पालिसीज़ की बात करनी चाहिए, मगर व्यक्तिगत रूप से, हम जो पर्सनल अटैक करते हैं, उससे बाहर आना चाहिए। मेरे मित्र राबर्ट ने जो बात कही, वह ठीक ढंग से नहीं ली गई, मगर यह सत्य है कि आज आप कहीं भी चले जाइए, "politician" शब्द एक गाली जैसा हो गया है - Oh God, You are a politician!

आप उस ज़माने को याद करिए, जब महात्मा गांधी जी ने, पंडित जी ने, वल्लभभाई ने, मौलाना आज़ाद साहब ने, उसकी बात कही थी। गांधी जी ने हम लोगों के माध्यम से सुराज का सपना देखा था, गरीबों के आंसू पोंछने की बात उन्होंने की थी, किंतु आज जिस प्रकार से सारा माहौल बना है, उस माहौल में ऐसा नज़र आता है, जैसे कि politicians किसी अलग जमात के लोग हैं। सबसे पहले निर्भय होकर, हम सबको यह विचार करना चाहिए कि जो एक ईमानदार आदमी है और उसको अगर ईमानदार रहने देना है, तो हमें निस्संकोच, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के और मैं यहां तक कहूंगा कि बिना मीडिया के दबाव के, बिल को स्वीकार करना चाहिए। आज जो एक टीचर है, वह भी अपनी पेंशन लेकर घर जाता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज दुनिया बदल रही है, ज़माना बदल रहा है। हम लोगों की अपेक्षा है कि हम लोग दुनिया को समझें, दुनिया को महसूस करें, हम देख सकें कि क्या हो रहा है और यह सब करने के लिए आपके पास एक दृष्टि होनी चाहिए और जब तक आपके पास यह

दृष्टि नहीं होगी, तब तक आप इस देश को दुनिया का एक अच्छा मुल्क बनाने में कामयाब कैसे हो सकते हैं? मेरे मन में यह प्रश्न है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, आज हमारे देश का जो टोटल बजट है, उस बजट की तुलना में, एक एम.पी. की सैलरी, समुद्र में एक बूंद से भी कम है और हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमारी सैलेरी तथा सुविधाएं पेंशन कौन तय करेगा? बाबू लोग हमारी सैलेरी सुविधा तय करेंगे? हमारी सैलेरी कौन तय करने वाला है? हमारी सैलेरी की चर्चा होना तक प्रतिष्ठित नहीं है। आज आप judiciary को ले लीजिए, statutory bodies को ले लीजिए, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन सबके अंदर यह सैलेरी और दूसरी चीजें जो हैं, It is charged on the Consolidated Fund of India. They are not even discussed and debatable. एक लोक-प्रतिनिधि, जो 100 करोड़ जनता की आशा, आकांक्षा, आस्था, उनकी उन्नति, उनके आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए जिम्मेदार है, आज उन लोक-प्रतिनिधियों, उन 800 एम.पीज़ की सैलेरी सुविधा-पेंशन के बारे में हम यहां चर्चा कर रहे हैं। मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं जानता हूं - मानता हूं, कुछ लोगों को आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने भूदान यज्ञ में अपनी सारी जमीन दे दी। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, जो हमारे यहां से एम.पी. चुनकर आते हैं, उन्होंने अपनी 800 एकड़ जमीन दे दी, दान कर दी। आदमी तो जमीन का एक टुकड़ा नहीं देता है, उन्होंने 800 एकड़ जमीन दान कर दी। जब वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर यहां आए, तो वे साउथ एवेन्यू में रहते थे और बहुत वर्षों तक वे अपने हाथ से खुद खादी कातते थे, बुनते थे और पहनते थे। जब वे यहाँ पर आए, एक दिन जब मैं उनके घर पर गया, तो M.P. घर पर चार बच्चे रखने पड़े। जब मैंने उनसे पूछा कि ये चार बच्चे कौन हैं, तो उन्होंने कहा मैंने अपना मन मार कर इन्हें किराए पर रखा है, क्या करुं यहां कैसे खर्चा चलाते है मैं जानता हूं। करीब पाँच महीने तक हम लोग दिल्ली में होते हैं। कंस्टीच्युएंसी के लोग आते हैं, हमारी अपनी सभ्यता है, हमारा अपना एक कल्चर है कि आने वाले व्यक्ति को कम-से-कम एक गिलास पानी पिलाएँ, चाय पिलाएँ। मगर गाँवों के जो एमपीज़ हैं, मैं दिल्ली की बात नहीं करता हूँ, उनके यहाँ तो कंस्टीच्युएंसी से लोग लगातार आते रहते हैं। आने पर उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए मैं एक बात जरूर कहूँगा कि बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है कि ललित सूरी जी ने चेयरमैन साहब के जरिए यह बिल लाया है। किन्तु लोक सभा में जो लोग चुन कर आते हैं, वे इस दर्द को अधिक महसूस करते हैं कि लोक प्रतिनिधि क्या होता है, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं? मिलने वाले अपना काम लेकर किसी भी समय आते है यहा तक की रात को दो बजे भी लोग आते हैं और दरवाजा खटखटा देते हैं और वे क्या काम लेकर आते हैं, तो कहते हैं कि पुलिस स्टेशन फोन कीजिए। वसंत साठे साहब ने एक बार कहा था कि यह मेरा काम नहीं है, डेव्ल्पमेंट के काम पर आए मतदाता नाराज हो गए, उन्हें हरा दिया। इसलिए जो भी आता है, उसे खुश करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है। उस आदमी ने चार आदमी वहाँ पर रखे थे। उसके बाद मैंने कहा कि आप चिन्ता मत कीजिए, क्योंकि मैं उन्हें जानता था, वे मेरे पिता जी के मित्र थे, तो मैंने उनकी व्यवस्था की। मगर आप सोचिए।

मैं आपको एक दूसरा किस्सा बताता हूँ। वे एक एक्स-एमपी हैं, इस हाउस से रिटायर हुए हैं। उनके घर पर बेटी की शादी थी। उन्होंने 60 पत्रिकाएँ छपवाईं। 60 पत्रिकाएँ

छपवा कर उन्होंने कुछ गाँवों में बँटवाईं और कुछ बाराती लोग भी आने थे। लोग यह समझे कि पोस्ट से उन्हें निमंत्रण नहीं मिला होगा, इसलिए उनके यहाँ पर करीब 5-7 सौ लोग आ गए। हमारे पोस्ट ऑफिस की भी ऐसी हालत है कि उन्होंने सोचा कि हमें भेजा होगा, लेकिन हमें नहीं मिला। वे एक्स-एमपी हैं, उस बेचारे की इतनी व्यवस्था करने की ताकत नहीं थी। हम उन्हें किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं?

हम लोग एयरपोर्ट पर उतरते हैं, एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट ऑथरिटी ने सूचना लगाई है कि अगर नार्थ एवेन्यू तक जाना है तो 300 रुपए लगेंगे। मुझे किसी ने बताया कि मुझे यहाँ पर 160 रुपए भत्ता मिलता है। प्रश्न यह नहीं है। सवाल यह है कि हमारे सोचने का तरीका क्या है? मैं तो एक सुझाव यहाँ दूँगा। मैं नहीं जानता कि इसका निर्णय हमारे लॉ मिनिस्टर साहब लेने वाले हैं या हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब लेने वाले हैं, मुझे यहाँ दोनों मिनिस्टर नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर जो भी होंगे, खैर यह पर्सनल विभाग में आता होगा या लॉ मिनिस्ट्री में आता होगा, आज इसका निर्णय होना चाहिए। मैं इसे एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ज्युडिश्यरी, जितनी स्टैट्युटरी बॉडीज़ हैं, This is to be charged under the Consolidated Fund of India and this is not to be discussed or debated. उसी प्रकार से या आप उसे प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ दें। जैसा कि रॉबर्ट ने कहा, मेरे पास भी यहाँ पर इसका पूरा डाटा है। हम लोगों ने वैसे ही ब्रिटिशर्स से भी ली है, उन्हें यहाँ पर 59095 पाउंड सेलरी मिलती है। आप स्वयं 75-80 रु से गुना करके कैलकुलेट कर लीजिए। वहाँ सारी सुविधाएँ उन्हें दी जाती हैं। अब तो सारी चीजें बदल चुकी हैं, दुनिया छोटी हो गई है। हर जगह अब तो ट्रेडिंग का जमाना आ गया है। अगर आप चाहते होंगे कि यहाँ का एमपी अधिक अच्छा अपना योगदान दें तो उनके घूमने की देखने की सैक्रेटेरियल लेटेस्ट व्यवस्था कर दें। अब तो कंपीटिशन का युग है, घूमे-फिरे-देखे। हमारे यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि एमपी को घूमने की क्या जरूरत है। क्षमा कीजिए, मुझे यह बात यहाँ कहनी चाहिए या नहीं, मगर हमारे आर्गेनाइजेशन में लोग कहते हैं कि आप जाइए, देखिए। जाने से विज़न बढ़ता है, देखने से विज़न बढ़ता है, वह कई चीज़ें देखता है, अपने देश में ला सकता है। पर यहाँ बोलते हैं मत घूमिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोच बदलनी चाहिए। हमारी सोच बदलनी चाहिए और सभी प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए। महोदय, आज हमारे यहां जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे किस प्रकार की हैं - लाचारी, बेकारी, मीडिया का प्रेशर इत्यादि।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Mr. Darda, please try to conclude.

SHRI VIJAY J. DARDA: But, Sir, I was told that I could speak for half-an-hour today. But if you ask me to conclude, I will conclude in just five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.KURIAN): Okay. But, in any case, not more than five minutes.

SHRI VIJAY J. DARDA: Okay, Sir, it's up to you.

महोदय, अब बात आती है सेक्रेटेरियल असिस्टेंस की। अगर आप कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहें क्योंकि हमारे हाउस में अलग-अलग विषयों से संबंधित बिल्स आते हैं और हम इतने ज्ञानी नहीं हैं और न हमारे पास इतनी सुविधा है। कल डॉक्टर साहब एक बिल ला रहे हैं जिस के लिए I have to contact a doctor. अब मुझे अगर उस के लिए एक डॉक्टर से कांटैक्ट करना है तो वह मुफ्त में सलाह नहीं देगा। इसी तरह मुझे और भी जानकारी लेनी पड़ सकती है क्योंकि मुझे सारी बातों का ज्ञान नहीं है। इसलिए अगर मैं अपनी सेक्रेटेरियल सर्विस को efficient नहीं बनाऊंगा तो कैसे काम कर पाऊंगा। अभी तो हमें उस के लिए सिर्फ 10 हजार रुपए मिलते हैं, लेकिन 10 हजार रुपए में आज कहीं कोई नालेजेबल मिल सकता है?

महोदय, अगर आप समय दें तो इस संबंध में माननीय डा. अम्बेडकर जी के पार्लियामेंट के अंदर दिए गए भाषण को, मैं यहां कोट करना चाहता हूं। अम्बेडकर जी ने संसद सदस्यों की सेलरी के बारे में कहा था कि -

"The first is the consideration of the social standards of the Ministers, who are, undoubtedly, the social leaders of the community. The second is the consideration of the competency, the third is the consideration of democracy, and the fourth is the consideration of the integrity and the purity of administration." He had made about one hour's speech of ten pages, in this House, on salary and wages. तो घटनाकार अम्बेडकर जी ने भी यही कहा था और उस वक्त भी उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के एम0पी0 को मिलने वाली सैलरी सुविधा की तुलनात्मक जानकारी देते हुए चर्चा की थी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं एक और मुद्दा आप के सामने रखना चाहूंगा। हमारे यहां रिसर्च एंड लाइब्रेरी की सुविधा है और लाइब्रेरी कमेटी भी है जिस में राज्य सभा के भी सदस्य होते हैं, लेकिन यह लाइब्रेरी पूरी तरह से लोक सभा सचिवालय के पास है और हमारे यहां के सदस्यों को लोक सभा पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि यह सुविधा राज्य सभा सचिवालय के पास भी होनी चाहिए अथवा लाइब्रेरी independent रूप में माननीय सभापति जी के नियंत्रण में होनी चाहिए। महोदय, आज जो लाइब्रेरी है, उस के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है, उस में सभापति जी के लिए कमरा तक नहीं है। हमारे यहां भी राज्य सभा के अधीन अनेक समितियां हैं जिन की शाखाएं ऐसी जगहों पर बैठी हैं जहां कागज और रिकॉर्ड का ढेर लगा रहता है तथा संसद सदस्यों के बैठने के लिए जगह नहीं है। राज्य सभा सचिवालय का कमेटी कांपलेक्स किसी रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म जैसा लगता है जहां भीड़, शोर और दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं है। वहीं लोक सभा सचिवालय के सभी कार्यालयों में काफी जगह है और सदस्यों के बैठने की भी अच्छी सुविधा है। महोदय, हमारे सदस्य भी जहां संसदीय काम से जाते हैं, वहीं पर उन के लिए सही व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी हमारी आप से रिक्वैस्ट है।

अंत में अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज भी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आजादी की लड़ायी लड़ी, वे भी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें भी पेंशन मिलनी चाहिए। महोदय, मैं वह रिपीट नहीं करूंगा कि कार कितने में होनी चाहिए। इसमें एक बात तो निश्चित है कि बेबसी और लाचारी से उसको अलग होना चाहिए,

otherwise वह किसी के भी गोद में जाकर बैठ जाएगा। आज ही लोग बोलते हैं वो बेचारा करेगा भी क्या? अपनी सुविधा की किसे बताए कौन उसे सुनेगा? अगर आप चाहते हैं कि वह स्वतंत्र और निर्भय होकर सही मायने में एक जन-प्रतिनिधि के रूप में अपनी बात रखे, तो निश्चित रूप से इन सब चीजों के बारे में किसी दबाव के बिना उसको सारी सुविधा होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please wind up now. Please conclude.

श्री विजय जे. दर्डा : मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं नारायणसामी साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे परवानगी दी और मैं जय राम रमेश जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने भी मुझे इनटरप्ट नहीं किया और बिना मुझे सुने यहां वे चल दिए। सर, मैं एक बात कहूँगा जाते-जाते कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो यहाँ पर तो कहते हैं कि हम सैलरी का विरोध करते हैं, मगर मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि जो बढ़ी हुई सैलरी थी, उसको उन्होंने वापस कर दिया या लेने से मना कर दिया। मैं चाहूँगा कि यह भी हिपोक्रेसी कोई ठीक नहीं है। इन सब चीजों से हमें बाहर आना चाहिए। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.KURIAN): Thank you, Mr. Darda. Now, Mr. Rudra Narayan Pany.

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : महोदय, आपका धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री पी. जे. कुरियन) : आपका टाइम पाँच मिनट है। उससे ज्यादा मत लीजिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, मैंने सामने देखा कि दर्डा साहब को 17 मिनट का ...(व्यवधान)... महोदय, आज यह जो विशेष विधेयक, प्राइवेट मैम्बर्स बिल जो ललित सूरी जी लाए हैं, मैं उसका समर्थन नहीं कर पा रहा हूँ। ...(व्यवधान)... मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर पा रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री विजय जे. दर्डा : क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले यह तो बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, ...(व्यवधान)... दर्डा जी, मैं आपका समर्थन नहीं कर पा रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Mr. Darda, he is not yielding. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि : मैं उसके साथ-साथ यह कहता हूँ कि अगर सांसदों की जो पे है, आप उसे सैलरी कहिए, मैं तो ट्रेड यूनियन से आता हूँ, इसलिए मेरे मुँह से वेज़ निकल जाता है, जो पे है, अगर वह बढ़ता है, तो दर्डा जी जैसा बोले कि कोई वापस नहीं करता है, एक कानून बन जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर वापस करना गैर कानूनी हो जाएगा। मैं लूँगा अवश्य, लेकिन गरीब लोगों में बाँटूँगा। महोदय, हम गाँधी जी के नाम से आज यहाँ तक आए। ...(व्यवधान)...

श्री विजय जे. दर्डा : आप बाँटेंगे तो ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.KURIAN): Mr. Darda, he is not yielding. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि : रिसीट दे देंगे। ...**(व्यवधान)**... दुनिया में हर चीज की रिसीट होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**... महोदय, बाँटा जाएगा, तो उसकी रिसीट जरूर दी जाएगी ...**(व्यवधान)**... दी भी जानी चाहिए। महोदय, भारत त्याग भूमि है। आज भी महात्मा गाँधी का सब लोग सम्मान करते हैं। हम लोगों को कुछ लोग राजनीति में गाली देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, बी0जे0पी0 यह भी गाँधीवादी समाजवाद से लेकर, गाँधी जी को महात्मा कहने से लेकर, महात्मा गाँधी के प्रति समस्त प्रकार की श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी की है। क्या गाँधी जी कभी सैलरी के बारे में सोचे थे? इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए जब महात्मा गाँधी जी काम किये, तो कभी सैलरी के लिए सोचे थे? आज मैं अपने नेता श्री एस0 एस0 अहलुवालिया जी के साथ नहीं हो पा रहा हूँ। उन्होंने गुलजारी लाल नंदा जी का नाम लिया था, लेकिन इस देश में प्रधान मंत्री भी रहे- श्री लाल बहादुर शास्त्री। मैंने जो सुना है और जितना मेरा ज्ञान है कि लाल बहादुर शात्री जी एक दिन बाहर आ रहे थे, सरकारी काम काज से। वह धूप का दिन था। वे एक कोट लगाकर आ गए और कोट धूप का दिन में, शायद उनको विदेशी डेलिगेशन से मिलना था। कुछ लोगों ने पूछा कि साहब, आपने कोट क्यों पहन लिया है? कोट इसलिए पहना, क्योंकि उनकी कमीज जो थी, वह फटी हुई थी। इस प्रकार के त्यागी लोगों का उदाहरण भी इस देश में है।

महोदय, हम नौकरी नहीं करते हैं। आजकल तो यह देश 120 करोड़ लोगों का हो गया है। हम 795 संसद सदस्य यहाँ पर एक प्रोसेस से चुन कर आते हैं। हम लोगों की पार्टी में कैडराइजेशन की एक व्यवस्था है। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि कम्युनिस्ट

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

में कैडराइजेशन है। कांग्रेस में भी पहले जमाने में था और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उसके पीछे दूसरे संगठनों का जो सम्पर्क है, उसमें भी वह काफी कैडराइजेशन की व्यवस्था है। जो हमारे कैडर हैं, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वे सब कुछ सेलेक्शन करके हमको इतनी दूर तक भेजते हैं। इसीलिए हमको ट्रांसपेरेंट रहना है। अब अगर हमको इतने प्रिविलेज मिलते हैं, तो अपने आपको सेलरीड परसन मत कहिए, क्योंकि अपने आपको एक पे पाने वाले व्यक्ति के अंदर गिनना उचित नहीं होगा। आप नौकरशाह के अंदर नहीं आते हैं। हम संसद-सदस्यों के माध्यम से देश चलता है, मंत्रिमंडल के माध्यम से देश चलता है। आप कतई कोई सिविल सर्वेण्ट नहीं हैं और इसलिए आपकी कोई पे रहेगी, उसमें कोई इन्क्रीमेंट रहेगा, ऐसा होने से तो आप उनकी श्रेणी में आ जाएंगे। आप जो संसद-सदस्य हैं, आप क्या करते हैं? आप कुछ सेक्रिफाई करते हैं, इसलिए आपको सम्मान मिलता है। जो आगे की सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि पुराने सदस्यों के साथ ऐसा हो गया, उनमें किसी की बेटी की शादी है, किसी के यहां यह कार्यक्रम है, तो मैं कहूंगा कि अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से समाज की सेवा करते हैं, तो समाज आपको अवश्य मदद देगा। समाज में आप ईमानदार हैं, आपका आदर्श व्यवहार है, तो वह देखता है, ऐसे सेवक को देखता है और समाज उसको मदद

देगा ही देगा। पैसे के हिसाब से किसी के स्टेटस के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। यह कोई पब्लिक सेक्टर या कोई कोरपोरेट हाऊस का काम नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : दर्डा जी, आप छोड़िए, उनके अपने विचार हैं।

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, पब्लिक सेक्टर का व्यक्ति, कोरपोरेट सेक्टर का व्यक्ति अगर कोई चार करोड़ भी तनख्वाह पा गया, तो वह जब मंत्री के पास आएगा, तो सिर झुका कर सैल्यूट करेगा। वह मंत्रिमंडल के नीचे है, वह संसद-सदस्यों के नीचे है। संसद-सदस्य का जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व अपने आप में महान है। इसलिए किसी आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से आपको नहीं सोचना चाहिए कि हमारी पे इतनी है, हमारी सेलरी इतनी है। अगर इसी आधार पर हमारा व्यक्तित्व तय होगा, तो यह कतई उचित नहीं होगा।

महोदय, मेरा यह कहना है कि अगर कामकाज करते समय आपको कोई फैसलिटीज मिलती हैं या आपके जो प्रिवीलेज होते हैं, उनके बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर आप कोई कमीशन बनाएंगे या कोई समिति बनाएंगे और पहले से यह मानसिकता रखेंगे कि बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो यह उचित नहीं है। जो महान व्यक्ति होते हैं, वे अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वे देश के 120 करोड़ लोगों के बारे में सोचते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय जे. दर्डा : सर।

श्री उपसभापति : नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्डा जी, आप बैठिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, इसमें कोई पे का सवाल नहीं होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय जे. दर्डा : सर, पाइंट ऑफ आर्डर है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : पाणि जी, एक मिनट। आपका पाइंट ऑफ आर्डर क्या है?

श्री विजय जे. दर्डा : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है।

श्री उपसभापति : रूल नंबर?

श्री विजय जे. दर्डा : सर, नंबर 2,3,4 ....

श्री उपसभापति : नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री विजय जे. दर्डा : सर, मैंने सिर्फ सेलरी की बात नहीं कही है, मैंने कहा है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : नहीं, वह आप छोड़िए। उनके अपने विचार हैं। ...**(व्यवधान)**... दर्डा जी, उनकी अपनी ओपिनियन है। In Parliament, every Member has a right to express his opinion. Why do you...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, जहां तक फैसिलिटीज की बात है, हम अगर ट्रांसपेरेंट रहेंगे, तो फैसिलिटीज किसको देते हैं, यह पता चलेगा। जैसे एक संसद-सदस्य के

साथ रेल में दो व्यक्ति चलते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सिक्योरिटी की बात नहीं है। अगर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं, उनको साथ में लेना चाहिए। आप कहते हैं कि देश की, समाज की पोजीशन ऐसी हो गई है कि लाइफ इनसिक्योर है।

श्री उपसभापति : पाणि जी, आप समाप्त कीजिए। अभी बहुत से ऑनरिबल मैम्बर्स को बोलना है, वक्त भी कम है।

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, मैं समाप्ति की ओर आ गया हूँ। वैसे मैं बैठ जाऊंगा, अगर आप बैठने का इशारा करते हैं, चाहे वह उचित है या अनुचित है। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं।

महोदय, यह तो प्राइवेट मैम्बर्स बिल है और इसमें तो अपने मन की बात कही जाती है। बाकी लोगों ने पन्द्रह, सत्रह मिनट का समय लिया है, मेरे को आपने समय बांध दिया। हम तो संसदीय कार्य-पद्धति सीख रहे हैं। महोदय, यह कहने का विषय है कि कुछ सदस्य कहते हैं कि संसद-सदस्यों की, मंत्रियों की लाइफ खतरे में है। क्या खतरे में है? क्या देश की 120 करोड़ जनता हमको मार देना चाहती है? टेरेरिस्ट ऐक्टिविटीज़ किसके लिए बढ़ी हैं, वह अलग बात है, लेकिन अगर जान खतरे में है तो एक बार मर जाएंगे। देश के लिए कितने लोग शहीद हुए हैं, हम भी एक बार मर जाएंगे और अगर विश्वास करते हैं तो मान लीजिए कि दोबारा इसी मिट्टी में पैदा होंगे, यह सत्य बात है।

श्री उपसभापति : पाणि जी, आप बहुत अच्छा बोले, अब कन्कलूड कीजिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : इसलिए निर्भय होकर, निर्लोभ होकर, समाज सेवा के भाव से हमको काम करना पड़ेगा। क्या हमको पे मिलेगी, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अलाउंस, प्रिविलेजिस, फैसिलिटीज़, इनके बारे में सोचा जा सकता है, जैसे एक चुनाव क्षेत्र में कौन सदस्य कितने दौरे करता है, वह जितने दौरे करेगा, उतने वह TA/DA के बिल भरेगा, इसमें एक ट्रैन्सपेरेंसी रहेगी और उसकी यह राशि उसको मिलनी चाहिए। अगर चुनाव क्षेत्र में कोई सदस्य ज्यादा दौरे करता है, तो उसके बारे में ज्यादा सोचा जाना चाहिए। उसी प्रकार से फिज़िबल ट्रैन्सपेरेंसी के आधार पर किसी सदस्य को काम करने के लिए जो साधन चाहिए, वे साधन उसे दिए जाने चाहिए, यह उचित होगा। पब्लिक सैक्टर के, कारपोरेट हाऊस के एम0डी0 या डायरेक्टर का जो लैवल होता है, हम उस लैवल के हैं, इस प्रकार का विचार ठीक नहीं है।

श्री उपसभापति : पाणि जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बाकी लोगों ने मुझे सुना, सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, this debate and the reply both have to be concluded today, because this Bill has taken three consecutive sittings of the House on Private Members' Bills Days. So, even if you have to sit a little longer for five-ten minutes, please don't mind, because we have to complete this Bill today. There are four more Members who have to speak on it. It will be difficult for the Chair to entertain any

more names. I have with me the names of Mr. Raashid Alvi, Mr. Ashwani Kumar, Mr. Ram Narayan Sahu and Mr. Ram Jethmalani. These are the four Members who have to speak. Then, there will be Government response on it, and after that, there will be reply from the Mover of the Bill. And, then the debate will be concluded. So, I would request all the participants who are left not to take more than five minutes. ...*(Interruptions)*...

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : इनको नहीं चाहिए, इनको तो दक्षिणा में मिल जाता है।

श्री रुद्रनारायण पाणि : दक्षिणा लेते नहीं, देते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप बैठिए। आप भी बैठिए। ...**(व्यवधान)**... Shri Raashid Alvi ... *(Interruptions)*... बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... Nothing will go on record. ... *(Interruptions)*... Nothing will go on record. ... *(Interruptions)*... Nothing will go on record. ... *(Interruptions)*...

श्री राशिद अल्वी (आंध्र प्रदेश) : सर, यह हाऊस और लोक सभा हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा फोरम है। हिन्दुस्तान की तकदीर का फैसला यही पार्लियामेंट करती है। जो फैसला चाहे, वह फैसला यह हाऊस कर सकता है। सर, मेरा कोई इरादा नहीं था बोलने का, लेकिन, अपने साथियों की बातें सुनकर मुझे लगा कि मुझे भी इसमें दो बातें जरूर कहनी चाहिए। इतना ताकतवर फोरम, दुनिया की सबसे बड़ी डैमोक्रेसी की पार्लियामेंट और उसके MPs अपने ही हाऊस में यह बहस करें कि हमारी सेलेरी बढ़नी चाहिए, यह अपने आपमें इस बात का सबूत है कि पार्लियामेंट के मैम्बर किन हालात से गुजर रहे हैं। मैं यह कहने के लिए बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ हूं कि सेलेरी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन MPs के जज्बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। अभी तक 4 हजार सेलेरी थी, अब 12 हजार सेलेरी है। शायद थोड़ा और शोर मचेगा तो 12 हजार से बढ़कर 20 हजार हो जाएगी और जिस दिन 20 हजार होगी, हिन्दुस्तान का मीडिया और शायद कोई अखबार नहीं बचेगा, जो अपने फ्रंट पेज पर यह लिखने का काम नहीं करेगा कि खुद MPs ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली और अब न जाने क्या होने वाला है। मैं कहना चाहूंगा कि सेलेरी न बढ़ाकर, MPs को जो फैसेलिटीज़ दी जाती हैं, उनको बढ़ाने का काम किया जाए। आज एक लोक सभा कांस्टिट्युएंसी में आम तौर पर 13 से 15 लाख वोटर्स होते हैं। और 15 लाख वोटर्स का मतलब होता है कि कम से कम 25 लाख की आबादी होना। मॉरीशस की आबादी 12 लाख है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर भी हैं और साथ ही पूरी पार्लियामेंट भी है और यहां पर केवल एक एमपी पूरे 25 लाख लोगों को रिप्रेज़ेंट करता है। वह अकेला एमपी उन 25 लाख आदमियों से कैसे मिलेगा? आज लोगों की एक्पेक्टेशन्स जो हैं वे बहुत अधिक हैं। मैं चार बार लोक सभा का चुनाव लड़ चुका हूं और जिस गांव के अंदर मैं छः बार जाता था, उसमें भी छः महीने के बाद यह शिकायत होती थी कि आपका तो चेहरा ही नज़र नहीं आता। वे सब सुविधाएं कहां से आएंगी? एमपीज़ को सुविधाएं मिलनी चाहिएं कि वे अपनी कॉन्स्टीट्युएंसी को, अपने लोगों को जा कर देख सकें और उनकी परेशानियों को दूर कर सकें। उसके पास कार तक भी नहीं होती, उसके पास दूसरी और कोई भी फैसिलिटी नहीं होती। मैं दुनियां के दूसरे देशों से मुक़ाबला नहीं करना चाहता हूं, अगर मैं दूसरे मुल्कों से मुकाबला करूंगा तो हमारा नाम फेहरिस्त में बहुत नीचे होगा। यहां पर केवल एक-दो एमपीज़

ने ही इसकी मुखाल्फ़त की है, अन्यथा 99 प्रतिशत एमपी इसकी हिमायत करने का काम कर रहे हैं। इसके बावजूद मैं आपसे बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार के मंत्री अभी हमारे ही मंत्री हैं, वे कहेंगे कि इस पर गौर किया जाएगा और आप इसे विड्रा कर लेंगे, उसके बाद यह बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, किन्तु इसके साथ जितनी बदनामी आपकी होनी होगी, वह अखबार में हो चुकी होगी। कोई अखबार ऐसा नहीं होगा जो यह नहीं छापेगा कि एमपीज़ अपनी ही सैलरी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी यह पूछने वाला नहीं है कि इनकी कितनी सैलरी है और कितनी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किन्तु जो बदनामी आपके हिस्से में आनी है, वह आ जाएगी। इसका नतीजा शायद इस तमाम बहस के बावजूद भी निकलने वाला नहीं है।

महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन मिसालें दूंगा, यहां पर गुलज़ारी लाल नन्दा जी की मिसाल दी गई। गुलज़ारी लाल नन्दा जी मेरे सामने ही डिफेंस कॉलोनी में शायद सैकेंड फ्लोर पर रहते थे और मैं भी उनकी ही कॉलोनी में रहता था। मैंने स्वयं देखा कि पुलिस ने आकर हिन्दुस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का सामान ऊपर से उठाकर नीचे सड़क पर फेंक दिया था। यहां पर खाने और पीने का सवाल नहीं है, उनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं था। मैं आपके सामने एक नाम और भी लूंगा, श्री भोला पासवान शास्त्री का, जो कि बिहार के मुख्य मंत्री एवं हिन्दुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर रहे। मैंने उस व्यक्ति को देखा है जो वेस्टर्न कोर्ट के एक ही कमरे में रहता था ...**(टाइम बैल)**...। महोदय, शायद आपके दिल को मेरी बातें लग रही होंगी, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर दूं, उसके बाद बैठ जाऊंगा।

श्री उपसभापति : आप अपनी बात को पूरा करिए, मैं तो फर्स्ट वॉर्निंग बैल दे रहा हूं।

श्री राशिद अल्वी : मैं अपनी बात बहुत जल्दी ही खत्म कर दूंगा। मैं इस हाउस को यह बताना चाहता हूं कि श्री भोला पासवान शास्त्री वेस्टर्न कोर्ट के एक ही कमरे में रहते थे। उनके पास खाने का कोई भी सामान नहीं था और उस वक्त तो शायद यह 500 या 700 रुपये सैलरी भी नहीं मिलती थी, जो आजकल एक्स एमपीज़ को मिलती है। मैंने उन्हें स्वयं देखा है और जब मैं उनसे मिलने के लिए जाता था, तो चूंकि कोई आदमी उनके पास नहीं था जो उनकी रोटी बना सके, वे अपने हाथ से ही बिजली के हीटर पर उबली हुई दाल बनाते और अपने हाथ से ही आटा गूंध कर, उसके गोले बना कर, उसी दाल में डाल देते थे। वही उनकी दाल और रोटी हो जाती थी, वही उनका डिनर हो जाता था और वही उनका लंच हो जाता था। इस मुल्क के अन्दर ऐसे लोग भी हैं, लेकिन इस मुल्क का मीडिया उन लोगों की कोई चर्चा तक नहीं करता। मैं यह नहीं कहता कि राजनीति के अन्दर सौ प्रतिशत ईमानदार और सच्चे लोग ही हैं, लेकिन राजनीति के अन्दर बड़ी तादाद ईमानदार और सच्चे लोगों की है, जो मेहनत करके इस पार्लियामेंट के दरवाज़े तक पहुंचे हैं। मैं आप सभी से बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान की ताकत आपके हाथों में है, लेकिन आप अपनी ताक़त का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। इस देश के अन्दर अपनी ताकत का इस्तेमाल अगर कोई करती है तो यह ब्यूरोक्रेसी करती है, आपका काम तो सिर्फ उन्हें डिफेंड करना होता है। आप अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं जानते। मैं यह नहीं कह रहा कि अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कम से कम अपनी सैलरी मत बढ़वाइए, लेकिन उन एक्स एमपीज़ का हमें ख़याल अवश्य करना चाहिए, जिनका आज कोई पुरसान-ए-हाल नहीं रहा। आखरी बात मैं आपसे यह कहूंगा कि बजाए इसके कि हम सैलरी बढ़ाने-घटाने और एक्स एमपीज़ की बात करें, इसके लिए एक

कमीशन बनना चाहिए, बीच में भी शायद ऐसी कुछ चर्चा हुई थी। माननीय मंत्री जी, वह कमीशन तमाम बातों पर ग़ौर करने के बाद इस बात को ज़रूर सोचे कि कब क्या फैसला लेना है, ताकि इसकी जरूरत ही न पड़े। परेशानी यह है कि एमपीज़ की सैलरी सिर्फ एमपीज़ ही बढ़ा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बढ़ा सकता। इसलिए मजबूरी है कि खुद ही बहस करनी पड़ती है और वह अगले दिन अखबारों की सुरखी बन जाती है। आप इसके अंदर एक कमीशन बना दें। जैसे वकतन-फवकतन सुप्रीम कोर्ट की सेलेरी बढ़ती है, हाई कोर्ट की सेलेरी बढ़ती है। मैं तो कहता हूं कि सेलेरी बिल्कुल मत बढ़ाइए, 12 हजार से घटाकर आज 10 हजार कर दीजिए, लेकिन फेसिलिटीज तो दीजिए। आप उनको घूमने-फिरने के लिए गाड़ी दीजिए, आप उनको दूसरा स्टाफ दीजिए, पी0ए0 दीजिए। जब हम सुबह को बैठते हैं तो अपने अखबार की कटिंग को अपनी कैंची से काटने का काम खुद ही करते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट की मैं तारीफ करुंगा कि वह कुछ फेसिलिटीज देती है। मंत्री जी, आप भी वही फेसिलिटीज दीजिए। यहां पर जितने हमारे माननीय मंत्रीगण बैठे हैं इन सब के प्राइवेट सैक्रेटरीज की सेलेरी इनसे ज्यादा होगी, आप इन सबसे पूछ लीजिए। उनकी ज्यादा होगी, इनकी कम होगी। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करुंगा कि यह एक ऐसा मसला है, इसे हमेशा के लिए खत्म कीजिए और एक कमीशन बनाने का काम कीजिए। थैंक्यू वेरी मच।

SHRI RAM JETHMALANI (Maharashtra): Thank you, Sir. I am sorry I almost seem to be striking a discordant note. Sir, I don't wish to comment upon the merits of this Bill, but I am prepared to concede that the emoluments of Members of Parliament are, perhaps, inadequate and they should be raised. There may be a strong case for that. But, in spite of that strong case, in view of certain principles of public probity which I wish to place before this hon. House, I would oppose this measure. Sir, first of all, we came to this House. I am not talking of the Members of the Lok Sabha. But we all came to this House on the basis of the existing rules. We knew what a Member of Parliament gets; we knew the kind of time and labour which we will have to devote to our work, and yet we came here. Having come here, Sir, we cannot possibly complain during the present tenure that our emoluments are inadequate. So, this is one principle of moral estoppel which applies to us and which we must observe. Secondly, has any political party a mandate which they got from the people of this country in the last election or any other time that if we come into power, we will increase the emoluments of our MPs or our Legislators? Now, this measure, therefore, being brought without the prior support of a public mandate and, therefore, it is contrary to the norms of parliamentary life that such a Bill should be passed or even supported. Then, Sir, third, which is still more important is that there is a rule of parliamentary life. No individual Member of Parliament can vote upon a measure or in favour of a measure in which he has a personal financial or fiscal interest. Now, we can vote so that the benefit of that legislation may apply to our future parliament. But,

to my mind, we are committing a gross and an immoral breach of the rules which say that no Member of Parliament can vote in favour of a measure in which he has a financial or other kind of a self-interest. Sir, merely because a large number of Members want to commit a collective breach of that rule does not excuse the breach of that rule, and it remains obviously still a breach of the rule which we must avoid. Sir, lastly, we must take into account the public perception. We fight here. We fight vigorously which is the essence of democracy. But the Press will report that there is a strange unanimity among Members of Parliament when they get up to vote on their own emoluments. Please bear this in mind that this is not good for the prestige and the image of Members of Parliament. Sir, even if you pass this Bill, even if this becomes a law, I would suggest one thing that when the House is adjourned by reason of disturbances or by walking into the Well of the House, then ten times the calculated daily salary must be deducted from the emoluments before anything of that kind happens. Sir, I submit, therefore, that, at least, I will vote against this measure if I am ever to vote. Thank you.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, I have one submission. They were earlier sitting here in the House. The hon. Members have voted for their salary Bill and also the pension Bill. And, he is a senior Member of this House and also he was in the Government. He knew about it, and still, he has gone to the extent of saying that the Members of Parliament are going to commit a breach and also break the law by voting in favour of the Bill.

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, आज जिस बिल पर चर्चा चल रही है और जिसे ललित सूरी जी लेकर के आये हैं, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि इतनी ज्यादा बातें इसके बारे में कही जा चुकी हैं कि बहुत ज्यादा कहने की गुंजाइश नहीं है। फिर भी, कुछ बातें जो हमारे माइंड में आ रही हैं, उन्हें हम भी कहेंगे। हमारा देश एक अरब से ज्यादा की आबादी वाला है और जिसको साढ़े सात सौ सांसद चलाते हैं। यहां पर जो कानून और नियम बनते हैं, उनके आधार पर सारा देश काम करता है और न्यायपालिका भी उनके आधार पर ही काम करती है। हमसे लोग कहते हैं कि साहब हम देश सेवा के लिए आये हैं, खाली पेट तो भगवान का भजन नहीं होता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, वैसे तो मैं पेशे से व्यापारी हूं, लेकिन उतना बड़ा व्यापारी ललित सूरी या अम्बानी जैसा व्यापारी नहीं हूं, एक औसत दर्जे का व्यापारी हूं। हमें इतनी ज्यादा प्राब्लम नहीं है, लेकिन इस पर आज तीसरी बार सदन में चर्चा चल रही है और मैंने इस पर अन्य सदस्यों के विचार सुने। यहां गुलजारी लाल नंदा के बारे में या लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया गया और हमारे जो भूतपूर्व सांसद हैं, उनके बारे में बताया गया, तो उनको सुनकर के हमारे माइंड में भी आया कि मैं भी कुछ इस पर बोलूं। अभी जब सुनामी आयी थी, मुम्बई में बहुत ज्यादा पानी

बरसा, बाढ़ आई और गुड़वांव में कर्मचारियों के ऊपर लाठियां बरसाईं गयीं, तो उसकी लड़ाई किसने लड़ी, सांसदों ने लड़ी। हम दूसरों के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन अपनी बात हम नहीं कह सकते। मैं उनके बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मैंने सुना कि इतनी-इतनी तकलीफें हैं और इतनी-इतनी दूर से आते हैं। आज यह माना जा रहा है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरती जा रही है और आने वाले समय में हमारा देश दुनिया का तीसरा मजबूत देश बनेगा। ऐसे समय के अंदर हमारे सांसदों को इतनी परेशानी से गुजरना पड़ता है। मीडिया वालों की बात बताते हैं। मीडिया वालों की तनख्वाह कितनी है - चाहे इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो या पेपर मीडिया हो, उनकी तनख्वाहें कितनी हैं। जरा उनसे पूछा जाये या इसके बारे में पता लगाया जाये। सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर होता है, वह सुप्रीम कोर्ट में एक बहस का कितना रुपया लेता है, क्या वह देश सेवा नहीं है ! ...**(व्यवधान)**... हां, मैं देख रहा हूं, वह बैठे हुए हैं। वह भी तो देश सेवा है। भारत का जो लोकतंत्र है, वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जितना मजबूत लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, उतना मजबूत लोकतंत्र दुनिया में कहीं नहीं चल रहा है। यह लोकतंत्र ऐसा चल रहा है कि हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं...। वे मुस्लिम समुदाय से हैं। हमारे प्रधानमंत्री सिख समुदाय से हैं, जो माइनॉरिटी में आते हैं, उसके बावजूद भी हमारा लोकतंत्र इतने अच्छे तरीके से चल रहा है और इतने मज़बूत तरीके से चल रहा है कि उसको दुनिया देख रही है कि आज हिन्दुस्तान कितनी बड़ी ताकत बनने जा रहा है। इस ताकत को बनाने वाले कौन लोग हैं? उसकी रूपरेखा किसने बनाई? इन्हीं सांसदों ने बनाई है। ...**(समय की घंटी)**... सर, एक एक्स-चीफ मिनिस्टर ने मुझसे कई बार अनुरोध किया कि उनका टेलीफोन का बिल जमा करवा दूं। मैंने कई बार उनका टेलीफोन का बिल जमा करवाया। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, उनके कोट के बारे में बताया गया, उनके मरने के बाद उनके ऊपर कर्जा निकला। हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम देश सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन खाली पेट कोई किसी चीज के ऊपर न कंसीडर कर सकता है और न ही वह ईमानदार बना रह सकता है। महोदय, मैं यहां पर यह भी बात बताना चाहता हूं कि आज दैनिक हिन्दुस्तान जो अखबार आता है उसमें मैंने पढ़ा तो हमें सपना दिखाई पड़ रहा है कि आमिर खान ने मंगल पांडे नामक पिक्चर में जो काम किया, उसके लिए उसने सात करोड़ रुपए लिए। दैनिक हिन्दुस्तान के अंदर यह खबर है। इसी तरह दक्षिण भारत का जो हीरो है, रजनीकांत, उसने अभी एक पिक्चर पंद्रह करोड़ रुपए में साइन की है। हम लोग कहां पर हैं? जबकि उनकी पिक्चर को पास करने के लिए जो बोर्ड बिठाते हैं, उसे हम ही लोग बिठाते हैं लेकिन हमारी हालत यह है। हम अपनी बात नहीं कह सकते। हम अपनी बात किससे जाकर कहें? हमें ललित सूरी जी को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्हें स्वयं की अपनी आर्थिक पोजिशन के कारण इस बात की कोई चिंता नहीं है लेकिन दूसरों की परेशानी को समझकर इस बिल को वे यहां पर लाए वरना कोई सांसद इतनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था।

श्री उपसभापति : अब समाप्त कीजिए।

श्री राम नारायण साहू : सर, मैं एक बात कहकर खत्म करना चाहता हूं कि ईमानदारी से काम करने के लिए हमारा पेट भरा होना जरूरी है।

भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है,
और लगी हो भूख तो ईमान डगमगाता है।

इस प्रकार किसी का ध्यान उस तरफ, गलत काम की ओर न जाए, वह ईमानदारी से काम करता रहे, ईमानदारी से काम चलता रहे, ईमानदारी से यह देश चलता रहे, उसके लिए इन सांसदों की जो डिमांड है जो बहुमत में है, 99 प्रतिशत है, उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, यही मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ashwani Kumar, you have three minutes.

SHRI ASHWANI KUMAR (Punjab): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for having given me the opportunity to participate in this discussion. I must confess that this is one debate in which I had no intention to participate. But having heard my esteemed colleagues with rapt attention, I could not resist the temptation of asking for your permission to add my words, few words to the debate.

Sir, trained as I am as a lawyer, I find it extremely difficult to argue a case, which may, directly or indirectly, benefit me as a Member of Parliament because I rise to support the Bill. I rise to support the Bill on two assumptions. First, that the Members of Parliament are fully and wholly committed to and by conviction devote a vast part of their time and energies to public service, and, that the vast majority of our MPs do not have other sources of income. The other assumption on which I make my submission is that they do their work honestly and in a manner which is completely and totally above board. On both counts, Sir, I am entitled to presume that I am correct. And, if these two assumptions be correct, I have no hesitation in stating that the present salary of the Members of Parliament is far below what is required for them to do their work honestly, truly, effectively and purposively. Sir, there is an element of a dignified conduct, of a dignified lifestyle of reasonable and modest comfort without which it is now an established fact that one cannot excel in whatever one may do. Then, there is the question of need, the question of basic needs, which each of us have in common the need to educate our children, the need to fulfil our social and community commitments, the need to serve our constituents and the need to have adequate means of support, secretarial and administrative, to enable us to perform our work as Parliamentarians to the best of our ability and in a manner that would subserve public interest. Sir, if I were to break my salary into various components, taking my basic salary of Rs. 12,000, I ask myself a question. Can I afford one person in the kitchen for food, the chauffeur and one clerical staff to help me in my day-to-day work? The answer would be, "No, certainly not on current salary". My kitchen and the other needs that I just mentioned are

impossible to be fulfilled within the cash component of our salaries. I have great respect for my friend, Mr. Raashid Alvi. But, I don't agree with him that the cash component should be reduced and facilities increased. The cash component of the salary is one that gives you the flexibility to apportion money according to the needs of each Member of Parliament. And, that flexibility gives one the independence. Somebody said many years ago: If you control the subsistence of man, you control his will. You control the will of man, you control his freedom. And if you control his freedom of action the efficiency in the discharge of his work is composed. I, therefore, Sir, rise to support the Bill on first principles; and I am not ashamed of arguing a case of which we may all be the beneficiaries because the merit of the case justifies that the salaries ought to be rationalised. Lest we are charged at a subsequent point of time by any one of being a judge in our own cause, I would suggest that the whole issue of the rationalisation of salaries be left to an independent commission where some people who are best positioned to take an objective view in the matter should decide what should be our salary, not that it may benefit any individual Member, but it may benefit all of us in the discharge of our primary function. I would conclude, Sir, by saying that something that has blurred this debate, that makes this debate a little more complicated is a presumption. As someone said

"महफिल की नज़र ही मैज़ान है
तोल आप न अपने को मुल्लाह
जिस दाम बिके जो चीज़
वही उस चीज़ की कीमत होती है।"

The broad assumption is that the Members of Parliament have other sources of income. That is an assumption, Sir, that I question. And, if I am right in questioning that assumption for a vast majority of us, then, surely, this is a case for a hike. Thank you very much.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : इज्ज़त-मुआब उपसभापति जी, माननीय सांसद श्री ललित सूरी जी ने सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक, 2004 चर्चा के लिए प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। मान्यवर, मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान न केवल कन्वेंस एलाऊंस पर चर्चा हुई, पेंशन से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई, बल्कि सम्मानित संसद सदस्यों को अपना कर्त्तव्य निर्वहन करने में एक प्रभावी ढंग से अपनी जिम्मेदारी का निष्पादन करने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसका उल्लेख भी चर्चा के दौरान आया। मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं इसीलिए मैं उनको बधाई देता हूं। मान्यवर, माननीय संसद सदस्य ने कन्वेंस एलाऊंस को एक लाख से बढ़ाकर चार लाख

5.00 P.M.

करने का उल्लेख, अपने बिल में किया है। इसके साथ ही पेंशन के मामले में जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, उसके मामले में भी उन्होंने यह कहा है कि जो फैमिली पेंशन है, वह सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन के समकक्ष कर दी जाए। इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। मान्यवर, मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि माननीय संसद सदस्य अपने कर्त्तव्य की जिम्मेदारी का जब निर्वहन करते हैं और जो उनकी दैनिक दिनचर्या होती है, जो दिन की कार्यसूची होती है, उसके दौरान उन्हें जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसमें यदि कोई महत्वपूर्ण बात आती है तो उनका जो कन्वेंस एलाऊंस है, पेंशन है, सेलरी है और जो बाकी एमेनिटीज हैं, जब ये सारी बातें सामने आती हैं, ऐसा माना जाता है कि उनसे समुचित प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए इस चर्चा के दौरान उनके मन में जो चिंता आई है, मैं उस चिंता को अनावश्यक मानकर नहीं चलता हूं, बल्कि यह मानकर चलता हूं कि यह एक मौजूं चिंता है, क्योंकि हमारे संसद सदस्यों की जनता के बीच में जो भूमिका है, उसको देखते हुए जो उन्हें वर्तमान में सहूलियतें मिल रही हैं, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वह पर्याप्त नहीं है, वह संतोषप्रद नहीं है, उस पर पुनःविचार करने की आवश्यकता है, लेकिन कैसे और किस रूप में विचार किया जाए, यह एक अलग पहलू है। कुछ माननीय संसद सदस्यों ने कहा है कि हमारे देश में संसद सदस्यों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, हमारे देश में संसद सदस्यों की क्या स्थिति है, चाहे बेसिक पे के मामले को लें, चाहे दूसरी एमेनिटीज के मामले को लें, चाहे कन्वेंस एलाऊंस के मामले को लें और चाहे पेंशन के मामले को लें। मेरे सामने दूसरे देशों व हमारे देश के सांसदों की सुविधाओं का वह कम्पेरेटिव चार्ट है और उस चार्ट को देखने से यह प्रतीत होता है कि ज्यादातर संसद सदस्यों ने जो बात उठाई है, जैसे श्री नारायणसामी हैं, प्रो. सोज हैं, जनार्दन पुजारी जी हैं, हमारे राबर्ट जी हैं, उन्होंने जब तुलनात्मक विश्लेषण किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे देश में संसद सदस्यों को और अधिक सुविधाएं दिलाने की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी कर सकें। मान्यवर, जो दूसरे देशों में सांसदों को सुविधाएं मिलती हैं, जब हम उन सुविधाओं पर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने यह बात कही थी कि अधिकांश संसद सदस्यों ने जो राय बिल के संबंध में और इस बिल में जिन बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, उसके संबंध में जो उल्लेख किया है, मैं उससे इत्तिफाक रखता हूं। उनकी भावनाओं का इज़हार मैं इन शब्दों में करना चाहूंगा कि -

"दुनिया के जख्म भरते हुए हम थक गए,
लेकिन हमारे दर्द को जमाने ने दर्द नहीं समझा।"

ऐसे संसद सदस्य, जिन पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी होती है, ऐसे संसद सदस्य, जिन पर लोगों के दुख तकलीफ दूर करने की जिम्मेदारी होती है, यदि वे खुद ही कई प्रकार की परेशानियों से जूझते रहें, उन पर खुद समस्याओं का अंबार लगा रहे, तो मैं समझता हूं कि एक निश्चिंतता के वातावरण में वे अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे, इस पर एक सवालिया निशान लग जाता है। हमारे एक माननीय सदस्य रामनाथ कोविंद और अन्य सदस्यों ने, जो दिवंगत सदस्य हैं, उनकी विधवाओं के लिए आजीवन फैमिली पेंशन देने की बात कही है। श्री अहलुवालिया जी ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री गुलजारी लाल नंदा जी का उल्लेख किया कि किन तकलीफों और परेशानियों में उन्होंने अपना अंतिम समय काटा। कई बार हमें समाचार-

पत्रों में ये दुखद समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि अमुक सज्जन, जो संसद सदस्य रह चुके हैं, उनके अंतिम जीवन काल में उनकी ऐसी दयनीय स्थिति रही कि स्वास्थ्य सेवाएं तो दूर रही, अपने परिवार के पालन-पोषण में भी उन्हें कई प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ा इस बिल में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, यह मामला केवल संवेदनशीलता का नहीं है, बल्कि मैं तो यह मानकर चलता हूं कि दरअसल इसमें मानवीय पहलू के दर्शन होते हैं। इसलिए मैं यह कहता हूं कि जो हमारे प्रतिनिधि सदन में बैठे हुए हैं, वे निश्चिंतता से काम कर सकें, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि समय-समय पर संसद सदस्यों को और क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, यदि इसका आकलन हो सके और किया जा सके, तो मैं सोचता हूं कि वह एक सामयिक पहल होगी। अब प्रश्न उठता है कि वह आकलन कैसे हो, कौन करेगा और डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? यह एक महत्वपूर्ण बात है और मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि हमारे कुछ जो संसद सदस्य हैं, दीपांकर मुखर्जी साहब हैं, संतोष बागड़ोदिया जी हैं, जेठमलानी जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है, जय राम रमेश जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि हम इस बात पर तो चिंतन करें कि हमें क्या सुविधाएं मिलें, लेकिन हमें किस रूप में मिलें, किस ढंग से मिलें और कौन सी प्रक्रिया से गुजरने के बाद मिले, इस पर विचार करना जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि हम एक आलोचना के केंद्र बिंदु बन जाएं, कहीं ऐसा न हो कि समाचार-पत्र इसे लिखें। आम जनता हमारे बारे में क्या विचार रखेगी, इन सब बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए हमें विचार करना होगा। यह कड़वा सच है कि जब हम खुद अपने बारे में विचार कर रहे हैं और हम खुद उसके निर्णायक बन जाएं तो कई प्रकार के प्रश्नों का इसमें उभरकर सामने आना एक स्वाभाविक बात है। यह बात हो सकती है कि आखिर हम खुद अपने संबंध में, ऐसे बिल, जो कि मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट की सैलेरीज और अमेनेटीज से संबंधित हैं, उस पर हम फैसला कैसे नहीं कर सकते हैं, यह एक अलग पहलू है। लेकिन पब्लिक परसेप्शन, जिसका उल्लेख हमारे कुछ सदस्यों ने किया, उसको भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है, क्योंकि लोग इसे इस तरह से ले लेते हैं। जब हम खुद अपने लिए बात करते हैं तो उससे कई चीजें सामने आती हैं। जैसाकि शायर ने कहा है कि -

"लोग आवाज़ को फरियाद समझ लेते हैं,
दर्द के सोज़ को भी साज समझ लेते हैं।"

हम जहां अपनी तकलीफ का इस वजह से इज़हार कर रहे हैं कि हम अपना रोल और कैसे मीनिंगफुल अदा करें, कैसे इफेक्टिव रोल अदा करें, लेकिन जब उसका दूसरे रूप में प्रस्तुतीकरण होगा तो उसका एक अलग मैसेज जा सकता है, इसे ध्यान में रखने का सुझाव आया है। इसलिए जब यह सुझाव दिया जाता है कि एक इंडिपेंडेन्ट मैकेनिज्म के बारे में हम लोग विचार करें, जब हम संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और कन्वेन्स अलाउंस की बात करते हैं, उनके लिए अन्य सुविधाओं की बात करते हैं...। तो उसमें एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म की स्थापना करने पर विचार होना चाहिए। हमारे लोक सभा अध्यक्ष जी ने पिछले दिनों 23 मार्च, 2005 को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि संसद सदस्यों की amenities, वेतन और भत्तों से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए एक Salary Commission का गठन किया जाना चाहिए। हमारे आदरणीय सभापति जी के सामने भी यह प्रस्ताव आया था और उस पर एक सहमति बनी थी। जब वह सहमति बनी और जब सरकार इस पर विचार करती है, तो मैं सोचता हूं कि इसमें एक बात सामने आती है

public perception की, दूसरी बात सामने आती है हमारी effective कार्य-पद्धति की और तीसरी बात सामने आती है कि इसको बाहर किस रूप में लिया जाएगा, इससे इन सारी बातों का निराकरण हो जाता है। इसलिए सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है कि एक Salary Commission का गठन किया जाए, जो इन सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करे और वह एक recommendatory body रहे। सांसदों की सुविधाओं संबंधी जो फैसले होते हैं, ये एक Joint Parliamentary Committee के द्वारा होते हैं, सुझाव है कि एक Joint Parliamentary Committee, recommendatory body हो जाए, या फैसला उस Salary Commission के सुपुर्द सौंपा जाए। उस कमीशन के गठन की जिम्मेदारी भी एक प्रस्ताव है कि दोनों सदनों के जो Presiding Officers हैं, उनको सौंप दी जाए। अब इस Salary Commission में कौन लोग रहेंगे? निश्चित रूप से इसमें वे लोग रहें, जिनका पब्लिक फील्ड में एक अनुभव रहा हो, वे लोग रहें, जो इस मामले को गंभीरता और संजीदगी से ले सकें। इस बारे में सरकार में एक प्रस्ताव है और मैं सोचता हूं कि मेरी एक सीमा है, मैं उससे और आगे जाकर उसको उजागर नहीं कर पाउंगा, लेकिन मैं इस बात पर यकीन करता हूं, एक दोहा है, जो हमने बचपन में पढ़ा था कि -

"काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में परलय होएगी, बहुरि करेगा कब?"

मैं सोचता हूं कि माननीय ललित सूरी जी को इस बारे में विश्वास होना चाहिए कि यदि हम कुछ कहते हैं, तो उसको करते हैं। हमने जो वादा किया है, उस वादे की पूर्ति की दिशा में हम कदम उठाएंगे और वह कदम हम जल्दी ही उठाएंगे। जैसे कि वेदव्यास जी ने एक बात कही है कि -

" ना कालतो म्रियते जाव तेवा,
ना कालतो व्यावहारते च बालः।
ना कालतो यौवन उप्यति,
ना कालतो रोपति बीजमुप्तम।"

अर्थात बालक समय से पहले जन्म नहीं लिया करता है, समय से पहले उसकी मृत्यु नहीं होती है, बिना समय के कभी यौवन भी नहीं आता है, बिना समय के जो बीज बोया जाता है, वह फल भी नहीं देता है।

उपसभापति जी, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि अब वह समय आ गया है कि आपको इस बारे में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप विश्वास करिए कि इस संबंध में हम लोग जल्दी ही इस सदन की भावना, जो कि बहुमत की भावना है और कई दृष्टियों से हमारे माननीय संसद सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है, उसको दृष्टिगत रखते हुए, यह सरकार शीघ्रातिशीघ्र इस दिशा में निर्णय ले लेगी। जहां तक बात आती है कि हम अभी इस संबंध में कोई घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही इस संबंध में निर्णय लिया जाता है। सेलरी, एलाउएंसेज़ एंड पेंशन ऑफ़ मैम्बर्स ऑफ़ पार्लियामेंट एक्ट 1954 में बना था। उसके बाद समय-समय पर जो निर्णय लिए गए, मैं उनका भी उल्लेख करना चाहूँगा। मान्यवर, जो मिनिमम पेंशन की बात है, 14-9-2000 को 3000 रुपए per month, जो हमारे मैम्बर्स रिटायर होते हैं, उन्हें पेंशन देने का निर्णय लिया गया और जो

कंवेयंस एलाउएंस था, उसे 1998 में एक लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया। अब यदि इसमें कोई परिवर्तन होना है, तो उस सम्बन्ध में एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही वह निर्णय लिया जाता है। लेकिन कंवेयंस एलाउएंस के मामले में जरूर एक बात का मैं सम्मानित संसद सदस्यों के सामने उल्लेख करना चाहूँगा कि यह जो कंवेयंस एलाउएंस है, इसके कई बिन्दुओं पर विचार करने के बाद, 50 हजार रुपए से बढ़ा कर एक लाख रुपए का निर्णय लिया गया था, क्योंकि इसमें रिकवरी की बात आती है। मान्यवर, अभी माननीय संसद सदस्यों की जो पे है, वह 12 हजार रुपए प्रति माह है। यह डिफिकल्ट हो जाता है, यदि कोई संसद सदस्य अपने आखिरी साल में कंवेयंस एलाउएंस लेता है, तो इसमें रिकवरी की एक दिक्कत आ जाती है और जो एडवांस लिया जाता है, उसका पूरा का पूरा भुगतान होना सम्भव नहीं हो पाता है। या दूसरे शब्दों में मैं यह कहूँ कि more than 30% एलाउएंस देना सम्भव नहीं हो पाता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कंवेयंस एलाउएंस का निर्णय लिया गया है। फिर भी जो सेलरी कमीशन का सुझाव है, उसमें इस बिन्दु पर भी हम लोग विचार करेंगे।

मैं इन शब्दों के साथ, इस वाक्य के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि माननीय संसद सदस्यों ने, जिनमें हमारे लगभग 31 संसद सदस्य हैं, उन्होंने बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिए हैं। जिन्होंने इसके पक्ष में बोला, वे भी महत्वपूर्ण हैं, मैं यह तो नहीं कहूँगा कि जिन्होंने विपक्ष में बोला है, बल्कि जिन्होंने कुछ पब्लिक परसेप्शन को दृष्टिगत रखते हुए सावधानी बरतने के लिए हमसे कुछ अपेक्षा की हैं, वे भी महत्वपूर्ण हैं। मैं सोचता हूँ कि उन सब का समावेश करते हुए मैं यदि यह कहूँ तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी, मान्यवर, कि यहाँ हम सब एक परिवार के हैं और जब मैं इस सदन को एक परिवार के रूप में मान कर चलता हूँ और मैं अपने आपको भी उस परिवार में शामिल करता हूँ, तो मैं इस सदन की भावना को समझ रहा हूँ। उस भावना को समझते हुए हम जल्द-से-जल्द अगला कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा मान कर चलता हूँ कि -

आदमी यूँ ही बेवफा नहीं होता
कुछ मज़बूरियाँ रही होंगी।

इसको थोड़ा और आगे बढ़ा कर मैं यह कहना चाहूँगा कि -

काम में यूँ ही विलम्ब नहीं होता
कुछ प्रक्रिया रही होगी।

हमने उस प्रक्रिया को पूरा करना है और उसके परिणाम की घोषणा हो जाएगी। मैं यही विश्वास दिलाते हुए माननीय सदस्य ललित सूरी जी से आग्रह करूँगा कि उनकी भावनाओं को हमने गम्भीरता से लिया है। चूँकि मैं अब यह कह रहा हूँ, तो उस पर यकीन करते हुए, विश्वास करते हुए वे अपने बिल को वापस ले लें।

श्री दीपांकर मुखर्जी : मैं एक प्वाइंट बताना चाहूँगा। मैं मंत्री महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने कहा और वही भावना जानी चाहिए कि इस सदन की जो भावना है, वह बहुमत की है, आम राय की नहीं है, क्योंकि आम राय की जो ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : उन्होंने बहुमत ही कहा है।

श्री दीपांकर मुखर्जी : उन्होंने बहुमत ही कहा है, इसलिए मैं आभारी हूँ। इसमें कोई आम राय नहीं है, मैं यह बताना चाहता हूँ।

श्री उपसभापति : यह तो उन्होंने कह दिया।

SHRI LALIT SURI (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I moved this Bill and I have seen the responses from my colleagues in this House. Thirty-three Members have spoken. Majority of them have spoken and shared with us what they are going through and what they expect from the hon. Minister and the Government to do for them. The need is very genuine and everybody has heard the various Members explaining how exactly they are meeting the two ends.

Now, four Members have opposed the Bill for various reasons. For example, Shri Jairam Ramesh thought, being an economist, that there was no need and it was a wasteful expenditure on the Members of Parliament. He must be having his own reasons. I don't think that those reasons are good enough to deprive a Member, who is going through such agony and misery that he is not able to conduct and do his duty as a Member of Parliament, what is due to him. Our colleague, Shri Dipankar Mukherjee, has a different view altogether. He opposed the Bill by saying that the public perception about a Member of Parliament is bad and he is corrupt. Well, there are many reasons for that. Keeping that in view and considering that, we cannot put all the Members of Parliament here into that category. If the perception is bad, the perception is bad for years or for centuries. It is for us to decide and it is for us to change the perception. How we have to change the perception is what we have to decide and debate. Merely because the Press is going against you does not mean the perception is bad. Well, the Press has to make news. What is news? Good news is no news. Bad news is the best news. So, what is the bad news? The bad news is that the Members of Parliament are discussing their own interests. Well, if you are not going to discuss it, how will this discussion take place? Who will discuss it? The Press will discuss about us or the bureaucracy will discuss about us or the Judges will discuss about us. Somebody has to take the lead. I took the lead. Why did I take the lead? I joined the Parliament in 2002. I have been in politics for more than 30 years. I have seen the people. I have seen the workers. I have worked with them. I have seen their plight. When I came to the Parliament, I can tell you, I understood that 90 per cent of them honestly couldn't lead a decent life with what they get. So, what will they do? As the hon. Member, Dr. Farooq Abdullah, has said, we go to the multinationals and the

industrialists, take money from them, ask questions and lobby for them. Is this what we are going in for? Is this what the Members of Parliament have to go through? I am not saying that we have to decide it ourselves. But somebody has to bring to the notice of everybody what exactly has to be done.

Sir, I totally agree with the hon. Minister. I know him extremely well. By making a statement he realises what the difficulties of the Members of Parliament are, what the Members and colleagues have spoken. He has taken full note of all that. He has also said that it will be done as soon as possible. I have full faith in him and I do know that this is a good news. Whatever you call it, for the sake of the people here, for the sake of the Members, who really deserve it, who want it, who need it, I think, the Government would take a view and form a committee.

I would like to bring to your notice that, even in England--I mean that they are paid; I don't want to talk about how much they are paid--there is a committee known as Senior Salary Review Body. The Senior Salary Review Body revised all the allowances, perks and salaries of the Members of Parliament in the UK every three years. There is a similar committee in America; there is a similar committee in Canada; there is a similar committee in Australia. The names are different, but the committees are there.

As I have said earlier, I have full faith in the Minister who spoke just now. I know that, with my full faith in him, this committee or whatever system they want to form will be formed sooner than later. Therefore, I withdraw the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Has Shri Lalit Suri the leave of the House to withdraw the Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2004

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Representation of the People (Amendment) Bill, 2004 by Shri Sharad Anantrao Joshi. You just move the Bill.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): I am grateful to you Mr. Deputy Chairman, Sir. I beg to move: